वार्षिक लेखा विवरण
ANNUAL STATEMENT OF ACCOUNTS
2024-25

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

Securities and Exchange Board of India

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय विवरणों (जिनमें शामिल हैं – 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय–व्यय लेखा तथा प्राप्ति और भुगतान खाता) की लेखापरीक्षा की गई। जैसा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 15(4) के तहत अपेक्षित है, इन विवरणों के साथ इनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को भिजवाई जा रही है, जिन्हें संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

The Financial Statements comprising the Balance Sheet as at 31st March 2025, the Income & Expenditure Statement and Receipts & Payments Account for the year then ended have been audited by the Comptroller and Auditor General of India. As required by Section 15(4) of the Securities And Exchange Board of India Act 1992, the same along with the Audit Report thereon is being forwarded to Central Government which shall cause the same to be laid before each house of the Parliament.

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखा विवरण हेतु अनुक्रमणिका
INDEX FOR STATEMENT OF ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2025

	विवरण PARTICULARS	पृष्ठ सं. PAGE NO.
	भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा (ऑडिट) रिपोट COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA (CAG) REPORT	4-7
	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2025	8
	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय–व्यय लेखा INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2025	9
	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान खाता RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2025	10-11
	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र की भागस्वरूप अनुसूचियाँ SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2025	12-25
1	कॉर्पस / पूँजी निधि / CORPUS/ CAPITAL FUND	12
2	आरक्षिति तथा अधिशेष / RESERVES AND SURPLUS	12
3	उद्दिष्ट निधियाँ / EARMARKED FUNDS	13
4	जमानती / गैर–जमानती ऋण और उधार / SECURED/UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	13
5	चालू देयताएँ और प्रावधान / CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	14-16
6	अचल आस्तियाँ / FIXED ASSETS	17
7	उद्दिष्ट निधियों से निवेश / INVESTMENTS-FROM EARMARKED FUNDS	18
8	निवेश – अन्य / INVESTMENTS - OTHERS	18
8क 8A	बॉण्ड में निवेश – सरकारी प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़)/ INVESTMENT IN BONDS - GOVERNMENT SECURITIES	19-23
9	चालू आस्तियाँ, ऋण और अग्रिम / CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES	24-25
	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के आय–व्यय लेखे की भागस्वरूप अनुसूचियाँ SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2025	
10	फीस / अभिदान / FEES/ SUBSCRIPTIONS	26
11	निवेश से आय / INCOME FROM INVESTMENTS	27
12	अर्जित ब्याज / INTEREST EARNED	28
13	अन्य आय / OTHER INCOME	28
14	स्थापना व्यय / ESTABLISHMENT EXPENSES	29
15	अन्य प्रशासनिक व्यय आदि / OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES	30
16	ब्याज / INTEREST	30
17	पूर्व अवधि समायोजन / PRIOR PERIOD ADJUSTMENT	31
	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की भागस्वरूप अनुसूचियाँ SCHEDULES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2025	
18	महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियाँ / SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	32-38
19	आकस्मिक देयताएँ तथा लेखों संबंधी टिप्पणियाँ/ CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES TO ACCOUNTS	39-54

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष हेतु भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के लेखों के संबंध में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की राय

राय

हमने, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी एक्ट, 1992) की धारा 15(2) के साथ पठित नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के तहत, 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष हेतु भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के वित्तीय विवरणों (जिनमें वित्तीय स्थिति का विवरण भी शामिल है) और उसी तारीख को समाप्त वर्ष हेतु आय–व्यय लेखे तथा प्राप्ति और भुगतान खाते तथा वित्तीय विवरणों के संबंध में की गई टिप्पणियों, जिनमें महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश भी शामिल है, की लेखापरीक्षा (ऑडिट) कर ली है । इन वित्तीय विवरणों में सेबी के प्रादेशिक कार्यालयों आदि का लेखा–जोखा भी किया गया है ।

लेखा–बहियों में वर्गीकरण किस प्रकार किया गया और क्या लेखा–बहियाँ सर्वोत्तम लेखा पद्धतियों, लेखा मानकों (अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स) और प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) संबंधी मानदंडों आदि के अनुसार तैयार की गईं, केवल उसके संबंध में ही इस लेखापरीक्षा (ऑडिट) रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों का उल्लेख किया गया है । कानूनी प्रावधानों, नियमों एवं विनियमों (रेग्यूलेशन्स) [औचित्य और नियमितता] के पालन को ध्यान में रखते हुए और निष्पादन–सह–कार्यदक्षता (efficiency-cum-performance) से संबंधित पहलुओं आदि को भी ध्यान में रखते हुए, वित्तीय लेनदेनों की लेखापरीक्षा (ऑडिट) की जाती है और इस लेखापरीक्षा (ऑडिट) से संबंधित टिप्पणियों (यदि कोई हों) की जानकारी अलग से निरीक्षण रिपोर्टों / भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा (ऑडिट) रिपोर्टों के जरिए दे दी जाती है ।

हमारी राय में, सेबी के वित्तीय विवरण [लेखा नीतियों (अकाउंटिंग पॉलिसी) तथा उनके संबंध में की गई टिप्पणियों और पृथक लेखापरीक्षा (ऑडिट) रिपोर्ट में जिन मामलों का जिक्र किया गया है, उनके साथ पठित] 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार स्वायत्त निकाय (ऑटोनॉमस बॉडी) की वित्तीय स्थिति की सही–सही तस्वीर बयान करते हैं, और साथ ही उस तारीख को समाप्त वर्ष हेतु उसके वित्तीय प्रदर्शन और उसे प्राप्त हुई रकम तथा उनके द्वारा जिन रकम का भुगतान किया गया [जिनका लेखा–जोखा स्वायत्त निकायों हेतु बही–खाते (लेखा–बहियाँ) तैयार करने के लिए निर्धारित किए गए एक जैसे फॉर्मेट / भारत में मान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार किया गया] उनकी भी सही–सही तस्वीर बयान करते हैं ।

राय का आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा (ऑडिट) नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) द्वारा बनाए गए विनियमों (रेग्यूलेशन्स) / निर्धारित किए गए मानदंडों / बनाई गई नियम–पुस्तिकाओं (बनाए गए मैनुअल) / जारी किए गए दिशानिर्देशों (गाइडलाइन्स) / गाइडेन्स नोट / आदेशों / परिपत्रों (सर्कुलर) आदि के अनुसार की है । हमारी जिम्मेदारियों का जिक्र हमारी रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा (ऑडिट) करने के संबंध में लेखापरीक्षक (ऑडिटर) की जिम्मेदारियाँ शीर्षक वाले खंड में भी किया गया है । हम स्वायत्त निकाय से स्वतंत्र हैं, जो वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा (ऑडिट) के संबंध में निर्धारित किए गए प्रावधानों के अनुसार जरूरी होता है, और हमने अपनी जिम्मेदारियाँ इन प्रावधानों के मद्देनजर ही पूरी की हैं । हमें यह विश्वास है कि हमने सभी मामलों में लेखापरीक्षा (ऑडिट) करने के लिए सभी जरूरी दस्तावेजों की जाँच–पड़ताल की है और उनके आधार पर ही अपनी राय दी है, किंतु इनमें वे मामले शामिल नहीं हैं जिनका जिक्र नीचे किया गया है और पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में किया गया है ।

वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंध–मंडल (मैनेजमेंट) की जिम्मेदारियाँ

सेबी के प्रबंध–मंडल (मैनेजमेंट) की यह जिम्मेदारी है कि वह वित्तीय विवरण उसी फॉर्मेट में तैयार करके सही तरह से प्रस्तुत करे, जो फॉर्मेट सेबी के लिए निर्धारित किया गया है और ये विवरण भारत में सामान्यतया मान्य लेखाकरण सिद्धांतों (अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स) के अनुसार तैयार किए जाएँ, और साथ ही उसकी यह भी जिम्मेदारी है कि वह आंतरिक नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था निर्धारित करे जिससे वित्तीय विवरण तैयार करते समय किसी बड़ी गलती की कोई गुंजाइश न रहे (फिर भले ही ऐसा किसी धोखाधड़ी की वजह से हो या फिर किसी त्रुटि की वजह से) ।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा (ऑडिट) करने के संबंध में लेखापरीक्षक (ऑडिटर) की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य है – यह सुनिश्चित करना कि वित्तीय विवरणों में कुल–मिलाकर किसी बड़ी गलती की कोई गुंजाइश न रहे (फिर भले ही ऐसा किसी धोखाधड़ी की वजह से हो या फिर किसी त्रुटि की वजह से), और साथ ही लेखापरीक्षक (ऑडिटर) की ऐसी रिपोर्ट जारी करना जिसमें नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) द्वारा लेखापरीक्षा (ऑडिट) के संबंध में बनाए गए विनियमों (रेग्यूलेशन्स) / निर्धारित किए गए मानदंडों / बनाई गई नियम–पुस्तिकाओं (बनाए गए मैनुअल) / जारी किए गए दिशानिर्देशों (गाइडलाइन्स) / गाइडेन्स नोट / आदेशों / परिपत्रों (सर्कुलर) आदि के आधार पर हमारी राय भी शामिल हो ।

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 03.11.2025

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
के लिए और की ओर से
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
(वित्त एवं संचार)

OPINION OF THE COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA ON THE ACCOUNTS OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SEBI) FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2025

Opinion

We have audited the financial statements of Securities and Exchange Board of India (SEBI), which comprise of the statement of financial position as at 31 March 2025, the Income & Expenditure Account, and Receipts & Payment Account for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 15(2) of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992. These financial statements include the accounts of Regional offices/branches of SEBI

This Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards, disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions regarding compliance with the Law, Rules and Regulations (Propriety &Regularity) and efficiency cum performance aspects, etc., if any, are reported through inspection reports / CAG's audit reports separately.

In our opinion, the accompanying financial statements of SEBI, read together with the accounting policies and Notes thereon and matters mentioned in the Separate Audit Report, which follows, **give a true and fair view** of the financial position of the autonomous body as at 31 March 2025, and of its financial performance and its receipts and payments for the year then ended in accordance with uniform format of accounts/format applicable to the Autonomous Bodies/ accounting standards generally accepted in India.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with CAG's auditing regulations /standards /manuals/guidelines/guidance-notes/orders/circulars etc. Our responsibilities are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the autonomous body in accordance with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate except for the effects of the matters described below and Separate Audit Report to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Management for the Financial Statements

The management of SEBI is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with uniform format of accounts/format applicable to the SEBI and accounting standards generally accepted in India, and for internal control as management determines it necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion in accordance with CAG's auditing regulations /standards /manuals /guidelines /guidance-notes /orders /circulars etc.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Place: New Delhi — **Principal Director of Audit**
Date: 03.11.2025 — **(Finance and communication)**

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष हेतु भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के वार्षिक लेखों के संबंध में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा (ऑडिट) रिपोर्ट

क. प्रबंध–मंडल (मैनेजमेंट) को पत्र

जिन कमियों का जिक्र इस पृथक लेखापरीक्षा (ऑडिट) रिपोर्ट में नहीं किया गया है, उनका बारे में प्रबंध–मंडल (मैनेजमेंट) को अलग से एक पत्र जारी करके बताया गया है, ताकि उनके स्तर पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके ।

ख. आंतरिक नियंत्रण का आकलन

i. आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था की पर्याप्तता

सेबी के कार्यालयों की शेष राशियाँ, यानि कि प्रधान कार्यालय और अन्य कार्यालयों की शेष राशियाँ मेल नहीं खातीं, जिससे यह पता चलता है कि प्रधान कार्यालय तथा अन्य कार्यालयों के बीच किए गए लेनदेन का पूरी तरह से लेखा–जोखा नहीं किया गया । वित्तीय विवरणों के देयताओं (लाइबिलिटीज़) वाला हिस्सा देखने यह पता चलता है कि पट्टे पर जमीन आदि लेने के लिए जमाराशि (डिपॉज़िट) का मिलान नहीं किया गया, क्योंकि जो राशि दिखाई गई और असल में पट्टे के लिए किए गए एग्रीमेंट के अनुसार जो जमाराशि (डिपॉज़िट) बनती है, वह मेल नहीं खाती ।

ii. आंतरिक लेखापरीक्षा की पर्याप्तता – कोई टिप्पणी नहीं की गई ।

iii. अचल संपत्तियों (फिक्स्ड असेट) के प्रत्यक्ष सत्यापन की व्यवस्था

प्रत्यक्ष सत्यापन की रिपोर्ट में यह दिखाया गया है कि कुछ असेट को बेच दिया गया, जबकि उन्हें बही–खातों (लेखा–बहियों) से हटाया नहीं गया, जिससे यह पता चलता है कि अचल संपत्तियों (फिक्स्ड असेट) के रजिस्टर, उनके प्रत्यक्ष सत्यापन की रिपोर्ट और वित्तीय विवरणों में दिए गए ब्यौरों का सही तरह से मिलान करने की जरूरत है।

iv. वस्तु–सूची के अनुसार प्रत्यक्ष सत्यापन की व्यवस्था – कोई टिप्पणी नहीं गई ।

v. कानूनी प्रावधानों के अनुसार देय रकमों आदि के भुगतान की नियमितता

लेखापरीक्षा (ऑडिट) के दौरान यह पाया गया है कि कर की अलग–अलग देनदारियों के संबंध में विविध लेनदार शीर्षक के तहत 0.12 करोड़ की जो रकम दिखाई गई है, देय विक्रय कर – जीएसटी शीर्षक के तहत 0.41 करोड़ की जो रकम दिखाई गई है, और इनपुट टैक्स क्रेडिट की शेष 6.35 करोड़ की रकम का मिलान नहीं किया गया है ।

ग. अनुदान राशि

वर्ष के दौरान भारत सरकार या किसी अन्य सरकारी एजेंसी की ओर से कोई अनुदान राशि प्राप्त नहीं हुई है ।

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 03.11.2025

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
(वित्त एवं संचार)

अस्वीकरण: प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है । यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

SEPARATE AUDIT REPORT OF THE COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA ON THE ANNUAL ACCOUNTS OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SEBI) FOR THE YEAR ENDED ON 31 MARCH 2025.

A. Management Letter:

Deficiencies which have not been included in this Separate Audit Report have been brought to the notice of the Management through a Management Letter issued separately for remedial/corrective action.

B. Assessment of Internal Controls

i. Adequacy of Internal Control System:

Intra organizational balances, i.e. balances of Head office and branches, were not in agreement indicating that accounting transactions between head office and branches were not accounted for completely. There were un reconciled differences in the lease deposits as reflected on liability side of the financial statements and lease deposit liability calculated based on executed lease agreements.

ii. Adequacy of Internal Audit System: Nil.

iii. System of Physical Verification of Fixed Assets:

In the physical verification report, certain assets have been marked as"Disposed Of', however the same were not disposed of/ removed / discarded from books, which shows that Fixed Asset Register, Physical Verification Reports thereon and depiction in financial statements need appropriate reconciliation.

iv. System of Physical Verification of inventory: Nil.

v. Regularity in Payment of Statutory Dues:

Audit observed that there are several tax liabilities grouped under Sundry creditors amounting to ₹0.12 crore, liability of ₹ 0.41 crore in 'Sales Tax Payable GST' head and balance of Input Tax Credit amounting to ₹ 6.35 crore which is unreconciled.

C. Grants-in-aid

No Grant in Aid was received from the Government of India or any other Government agency during the year.

Place: New Delhi
Date: 03.11.2025

Principal Director or of Audit
(Finance and Communication)

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2025

(रकम ₹ करोड़ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण PARTICULARS	अनुसूची Sch.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार As at 31-Mar-2025	31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार As at 31-Mar-2024
कॉर्पस/ पूँजी निधि (कैपिटल फंड) और देयताएँ (लाइबिलिटीज़)/ CORPUS/ CAPITAL FUND AND LIABILITIES			
कॉर्पस / पूँजी निधि (कैपिटल फंड)/ CORPUS/CAPITAL FUND	1	7,234.66	5,572.82
आरक्षितियाँ (रिज़र्व्स) और अधिशेष (सरप्लस)/ RESERVES AND SURPLUS	2	-	-
उद्दिष्ट निधियाँ (इयरमार्क्ड फंड)/ EARMARKED FUNDS	3	768.82	540.55
जमानती / गैर–जमानती ऋण और उधार / SECURED / UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	4	-	-
चालू देयताएँ (करेंट लाइबिलिटीज़) और प्रावधान / CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	5	2,916.70	2,258.78
कुल / TOTAL		**10,920.18**	**8,372.15**
आस्तियाँ (असेट)/ ASSETS			-
अचल आस्तियाँ (फिक्स असेट)/ FIXED ASSETS	6	1,572.50	1,610.07
निवेश – उद्दिष्ट निधियों (इयरमार्क्ड फंड) से / INVESTMENTS-FROM EARMARKED FUNDS	7	3,221.43	2,332.15
निवेश – अन्य / INVESTMENTS -OTHERS	8	5,102.88	2,521.23
चालू आस्तियाँ (करेंट असेट), ऋण और अग्रिम / CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES	9	1,023.37	1,908.70
विविध व्यय (जहाँ तक बट्टे खाते न डाले गए हों या समायोजित न किए गए हों) / MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)		-	-
कुल / TOTAL		**10,920.18**	**8,372.15**
महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियाँ / SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	18		
आकस्मिक देयताएँ (कंटिन्जेन्ट लाइबिलिटीज़) और लेखों संबंधी टिप्पणियाँ / CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES TO ACCOUNTS	19		

पराग बसु/ PARAG BASU
मुख्य वित्तीय अधिकारी/CHIEF FINANCIAL OFFICER
स्थान/Place : मुंबई/MUMBAI
तारीख/Date : 24 जून, 2025

मनोज कुमार/MANOJ KUMAR
कार्यपालक निदेशक/EXECUTIVE DIRECTOR

कृते **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड**
For **SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**
तुहिन कांत पाण्डे/TUHIN KANTA PANDEY
अध्यक्ष/CHAIRMAN

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय–व्यय लेखा
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2025

(रकम ₹ करोड़ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण PARTICULARS	अनुसूची Sch.	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-Mar-2025	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-Mar-2024
आय / INCOME			
फीस / अभिदान (सब्सक्रिप्शन)/ FEES/ SUBSCRIPTIONS	10	2,334.08	1,851.48
निवेशों से आय / INCOME FROM INVESTMENTS	11	325.47	192.41
अर्जित ब्याज / INTEREST EARNED	12	15.22	13.30
अन्य आय / OTHER INCOME	13	37.89	17.74
कुल (क) / TOTAL (A)		**2,712.66**	**2074.93**
व्यय / EXPENDITURE			
स्थापना व्यय / ESTABLISHMENT EXPENSES	14	734.37	696.43
अन्य प्रशासनिक व्यय / OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES	15	196.61	217.78
ब्याज / INTEREST	16	-	-
मूल्यह्रास (डेप्रीसिएशन) और अमोरटाइजेशन/ DEPRECIATION AND AMORTISATION	6 & 8 A	127.71	91.77
कुल (ख) / TOTAL (B)		**1,058.69**	**1,005.98**
शेष – व्यय से आय के आधिक्य के रूप में (क – ख) BALANCE BEING EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE (A-B)		1,653.97	1068.95
जोड़ें/(घटाएँ) : पूर्व अवधि समायोजन (प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट)/ ADD/(LESS):PRIOR PERIOD ADJUSTMENT	17	7.87	(4.47)
शेष – अधिशेष (सरप्लस) के रूप में आगे ले जाए गए / BALANCE BEING SURPLUS CARRIED FORWARD		**1,661.84**	**1,064.48**
महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियाँ / SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	18		
आकस्मिक देयताएँ (कंटिन्जेन्ट लाइबिलिटीज़) और लेखों संबंधी टिप्पणियाँ / CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES TO ACCOUNTS	19		

पराग बसु/ PARAG BASU
मुख्य वित्तीय अधिकारी/CHIEF FINANCIAL OFFICER
स्थान/Place : मुंबई/MUMBAI
तारीख/Date : 24 जून, 2025

मनोज कुमार/MANOJ KUMAR
कार्यपालक निदेशक/EXECUTIVE DIRECTOR

कृते **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड**
For **SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**
तुहिन कांत पाण्डे/TUHIN KANTA PANDEY
अध्यक्ष/CHAIRMAN

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान खाता
RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2025

(रकम ₹ करोड़ में / Amount in ₹ Crore)

क्र. सं. S. No.	प्राप्तियाँ / RECEIPTS	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-MAR-2025	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-MAR-2024
I.	**प्रारंभिक शेष / Opening Balance**		
	नकदी शेष / उगाही संबद्ध चेक/Cash/Cheques in Hand	0.01	0.02
	बैंक में शेष/Bank Balances		
	चालू / बचत खातों में/Current/Saving Accounts	129.66	268.49
II.	**निवेश और जमाराशियाँ/Investments and deposits**		
	निवेश बंद किए जाने पर / निवेश की परिपक्वता (मैच्यूरिटी) की अवधि पूरी होने पर मिली रकम Proceeds from closure/maturity of Investment	-	-
	उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जमाराशि (डिपॉजिट) – जो बंद कर दी गई / Deposit Closure-Supreme Court Order	65.97	41.09
	न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा लगाई गई शास्ति (पेनल्टी) की रकम जो अपने पास रखी गई / जिसका निवेश मीयादी जमाओं (फिक्स्ड डिपॉजिट) में किया गया/ AO Penalties Retained/ Invested in Fixed Deposit	85.37	40.75
	निम्नलिखित से निवेश पर आय/Income on Investment from		
	उद्दिष्ट निधि (इयरमार्क्स फंड) – आईपीईएफ/Earmarked Fund-IPEF	7.39	18.03
	उद्दिष्ट निधि (इयरमार्क्स फंड)– प्रत्यर्पण (डिस्गॉर्जमेंट)/Earmarked Fund-Disgorgement	-	-
III.	**प्राप्त ब्याज/Interest Received**		
	जमाराशियों पर/On Deposits	399.62	354.42
	ऋण, अग्रिम आदि/Loans, Advances, etc.	6.71	4.77
	अन्य ब्याज/Other Interest	6.32	5.90
IV.	**अन्य आय/Other Income**		
	रजिस्ट्रीकरण फीस/Registration Fees	410.22	279.01
	वार्षिक फीस/Annual Fees	2,402.04	591.12
	आवेदन फीस/Application Fees	16.18	6.48
	नवीकरण (रिनुअल) फीस/Renewal Fees	18.58	38.36
	प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) दाखिल करने हेतु फीस/Filing Fees for Offer Documents	405.05	270.66
	अधिग्रहण (टेकओवर) विनियमों के तहत फीस [अप्रयोज्यता (नॉन–एप्लेकेलीटी) एवं आवेदन] Fees for Takeover regulations (Non applicability & Application)	11.02	11.53
	सूचीबद्धता (लिस्टिंग) फीस से संबंधित अंशदान/Listing Fees Contributions	42.75	33.28
	अनौपचारिक मार्गदर्शन स्कीम / सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत फीस / Fees under Informal Guidance Scheme / RTI Act	0.07	0.06
	विविध आय/Miscellaneous Income	45.29	19.11
V.	**शास्ति (पेनल्टी) लगाए जाने से, निपटान (सेटलमेंट)/ शमन (कंपाउडिंग) संबंधी प्रभारों से और वसूली (रिकवरी) किए जाने से प्राप्त धनराशि/Receipts of Penalties, Settlement/Compounding and Recoveries**		
	भारत सरकार को देय शास्तियाँ (पेनल्टी)/Penalties remittable to GOI	17.54	33.99
	निपटारे (सेटलमेंट)/ शमन (कंपाउडिंग) संबंधी प्रभार/Settlement/Compounding charges	814.55	104.13
	वसूली कार्यवाहियों से प्राप्त रकम/Recovery Proceedings receipts	418.65	105.89
	वसूली कार्यवाहियों से प्राप्त रकम– जिसे मीयादी जमा (फिक्स्ड डिपॉज़िट) के तौर पर रखा गया/ Recovery Proceedings FD	1.41	
	वसूली कार्यवाहियों से संबंधित जमाराशियों पर ब्याज/Recovery Proceedings Interest on deposits savings	35.01	12.53
	प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) के आदेशानुसार जमाराशि (डिपॉजिट) [असेट] जो बंद कर दी गई/ Deposit Pursuant to SAT Order (Assets) Closure	76.23	280.16
	उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जमाराशि (डिपॉजिट) पर ब्याज/Interest on Deposit as per Supreme Court Orders.		-
	न्यायनिर्णायक अधिकारी दवारा लगाई गई पेनल्टी से संबंधित जमाराशि (डिपॉजिट) पर ब्याज / Interest AO penanties on deposits	10.20	7.02
	वसूली के लिए की गई नीलामी के मामले में इएमडी के तौर पर प्राप्त रकम /Recovery Auction EMD receipts	124.12	
VI.	**प्राप्त अन्य धनराशियाँ/Other Receipts**		
	निवेशक संरक्षण और शिक्षण निधि/Investor Protection Education Fund	188.20	279.98
	जमानती जमाराशि – सेवा कर/Security Deposit -Service Tax	-	-
	जमाराशियाँ – विविध पक्ष और परिसर /Deposits - Sundry Parties and Premises	-	0.30
	स्टाफ सदस्यों को दिए गए ऋण की वसूली/Recovery of Staff Loans	-	4.27
	चालू देयताओं (करेंट लाइबिलिटीज़) से संबंधित धनराशि – विविध लेनदार (शुद्ध)/Receipt of Current Liabilities- Sundry Creditors (Net)	-	-
	अग्रिमों के रूप में प्राप्त धनराशि (शुद्ध)/Receipt of Advances (Net)	47.44	18.40
	कुल/ TOTAL	**5,785.61**	**2,829.77**

पराग बसु/ PARAG BASU
मुख्य वित्तीय अधिकारी/CHIEF FINANCIAL OFFICER
स्थान/Place : मुंबई/MUMBAI
तारीख/Date : 24 जून, 2025

मनोज कुमार/MANOJ KUMAR
कार्यपालक निदेशक/EXECUTIVE DIRECTOR

कृते **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड**
For **SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**
तुहिन कांत पाण्डे/TUHIN KANTA PANDEY
अध्यक्ष/CHAIRMAN

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान खाता
RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2025

(रकम ₹ करोड़ में / **Amount in ₹ Crore)**

क्र. सं. Sr. No.	भुगतान PAYMENTS	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-Mar-2025	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-Mar-2024
I.	व्यय / **Expenses**		
	स्थापना व्यय / Establishment Expenses	645.10	559.10
	प्रशासनिक व्यय / Administrative Expenses	163.60	195.48
	ब्याज / Interest	-	-
	आईपीईएफ व्यय / IPEF Expenses	2.69	2.78
II.	किए गए निवेश और जमाराशियाँ / **Investments and deposits made**		
	अपनी निधियों में से (निवेश – अन्य)/ Out of Own Funds (Investment -Others)	2,588.63	761.51
	उद्दिष्ट निधियों (इयरमार्क्स फंड) में से / Out of Earmarked Funds	238.06	267.98
	एलआईसी के पास जमा – उपदान (ग्रैट्यूटि) एवं छुट्टियों के नकदीकरण हेतु / Deposit with LIC for Gratuity & Leave Encashment	33.28	50.38
	उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जमाराशि (डिपॉजिट)/ Deposit as per Supreme Court Order		-
	प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) के आदेशानुसार जमाराशि (डिपॉजिट)/ Deposit Pursuant to SAT Order	77.68	278.74
	न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा लगाई गई पेनल्टी की रकम जो अपने पास रखी गई /जिसका निवेश मीयादी जमाओं (फिक्स्ड डिपॉजिट) में किया गया / AO Penalties Retained/ Invested in Fixed Deposit	55.97	-
	वसूली (रिकवरी) से मिली रकम जो जमाराशि के रूप में रखी गई / Deposit Recovery Proceeds	426.43	34.87
III.	अचल आस्तियों एवं प्रक्रियाधीन पूँजीगत कार्य (कैपीटल वर्क–इन–प्रोग्रेस) संबंधी व्यय/ **Expenditure on Fixed Assets & Capital Work-in-Progress**		
	अचल आस्तियों (फिक्स्ड असेट) की खरीद / Purchase of Fixed Assets	77.50	42.82
	प्रक्रियाधीन पूँजीगत कार्य (कैपीटल वर्क–इन–प्रोग्रेस) संबंधी व्यय / Expenditure on Capital Work in Progress	117.25	22.44
IV.	भारत सरकार को अंतरित (ट्रांसफर) की गई धनराशि Transfer of funds to Government of India	-	-
V.	शास्ति (पेनल्टी) लगाए जाने से, निपटान (सेटलमेंट)/ शमन (कंपाउडिंग) संबंधी प्रभारों से और वसूली (रिकवरी) किए जाने से प्राप्त धनराशि जमा आदि करवाना/ **Payments of Penalties, Settlement/Compounding and Recoveries**		
	भारत सरकार के पास जमा कारवाई गई पेनल्टी की धनराशि (न्यायनिर्णयन, निपटारा, शमन) / Penalties remitted to GOI (Adjudication, Settlement, Compounding)	17.73	23.24
	भारत सरकार के पास जमा कारवाई गई निपटारे (सेटलमेंट) / शमन (कंपाउडिंग) संबंधी प्रभार की रकम/ Settlement/Compounding charges Remitted to Government of india -	814.39	227.69
	भारत सरकार के पास जमा करवाई गई शास्ति (पेनल्टी) की धनराशि – न्यायनिर्णयन (अजूडिकेशन), समायोजन/ Penalties remitted to GOI - Adjudication,-Adjustment	44.44	10.17
	भारत सरकार और ईओडब्ल्यू के पास जमा करवाई गई वसूली कार्यवाहियों (रिकवरी प्रोसीडिंग्स) से संबंधित रकम/ Payment of Recovery Proceedings to GOI, EOW	92.19	67.57
	न्यायनिर्णयक अधिकारी (ए.ओ.) द्वारा लगाई गई पेनल्टी से मिली धनराशि, जिसका ट्रांसफर प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) से संबंधित जमाराशियों में किया गया / AO Penalties recd.transferred. to SAT Deposits	-	-
	चूककर्ता (डिफॉल्टर) पर लगाई गई पेनल्टी की धनराशि / चूककर्ता (डिफॉल्टर) से वसूल की गई धनराशि, जो वापस की गई / Refunds of penalties/recoveries to defaulter	16.50	104.24
	वसूल की गई धनराशि जो आईपीईएफ / सेबी फीस से संबंधित खाते में अंतरित (ट्रांसफर) की गई / Transfers of recoveries to IPEF/SEBI Fees	-	-
	उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्राप्त जमाराशि (डिपॉजिट) – जिनसे भुगतान किया गया/ Deposit-Supreme Court Order paid	65.97	41.09
	प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट)/न्यायालय के आदेशानुसार प्राप्त जमाराशि (डिपॉजिट) –जिनसे भुगतान किया गया /Deposit-SAT/Court Order paid	-	
	वसूल की गई धनराशि, जो न्यायालय द्वारा नियुक्त की गई समितियों को ट्रांसफर की गई / Recoveries transferred to Court Appointed Committees	26.74	
VI.	अन्य भुगतान/ **Other Payments**		
	विभिन्न पक्षों को जमाराशि (डिपॉजिट) का भुगतान (शुद्ध) / Payment of Deposits Sundry parties (Net)	1.35	-
	विविध लेनदारों से चालू देयताओं के तौर पर प्राप्त रकम (शुद्ध) / Receipt of Current Liabilities- Sundry Creditors (Net)	9.05	1.63
	अग्रिमों के रूप में किया गया भुगतान (शुद्ध) / Payment of Advances (Net)	-	-
	स्टाफ सदस्यों को दिया गया ऋण (शुद्ध) /Staff loan Net	36.44	-
	प्रत्यर्पण (डिस्गॉर्जमेंट) संबंधी व्यय /Disgorgement Expenses	0.01	8.37
	आईपीईएफ निधि से प्रत्यर्पण निधि (डिस्गॉर्जमेंट फंड) में ट्रांसफर/ Tramsfer from IPEF to Disgogement	-	-
VI.	अंतिम शेष / **Closing Balances**		
	नकदी / उगाही संबद्ध चेक/ **Cash/Cheques in Hand**	0.07	0.01
	बैंक में शेष / **Bank Balances**		
	चालू / बचत खातों में/ In Current/Saving Accounts	234.54	129.66
	कुल/ **TOTAL**	**5,785.61**	**2,829.77**

पराग बसु/ PARAG BASU
मुख्य वित्तीय अधिकारी/CHIEF FINANCIAL OFFICER
स्थान/Place : मुंबई/MUMBAI
तारीख/Date : 24 जून, 2025

मनोज कुमार/MANOJ KUMAR
कार्यपालक निदेशक/EXECUTIVE DIRECTOR

कृते **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड**
For **SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**
तुहिन कांत पाण्डे/TUHIN KANTA PANDEY
अध्यक्ष/CHAIRMAN

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र की भागस्वरूप अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2025

(रकम ₹ करोड़ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण PARTICULARS	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार As at 31-Mar-2025		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार As at 31-Mar-2024	
अनुसूची 1 / SCHEDULE 1				
कॉर्पस / पूँजी निधि (कैपिटल फंड) / CORPUS/ CAPITAL FUND				
कॉर्पस निधि / Corpus Fund				
वर्ष के आरंभ में शेष / Balance as at the Beginning of the Year	-		-	
जोड़ें : कॉर्पस निधि हेतु अंशदान / Add : Contributions towards Corpus Funds	-		-	
घटाएँ: साधारण निधि में अंतरित (ट्रांसफर) की गई रकम / Less: Transferred to General Fund			-	
वर्ष के अंत में शेष / Balance as at the Year End		-		-
सेबी की साधारण निधि / SEBI' General Fund				
अवधि के आरंभ में शेष / Balance as at the Beginning of the Period	5,572.82		4,508.34	
जोड़ें : कॉर्पस निधि से ट्रांसफर की गई रकम Add : Transferred from Corpus Funds			-	
घटाएँ: भारत सरकार को ट्रांसफर की गई रकम Less: Transfer of funds to Government of India	-		-	
जोड़ें / (घटाएँ) : शुद्ध आय / (व्यय) का शेष – जिसे आय – व्यय लेखे से ट्रासंफर किया गया/ **Add/ (Deduct)** : Balance of Net Income / (Expenditure) Transferred from Income & Expenditure Account	1,661.84		1,064.48	
वर्ष के अंत में शेष / Balance as at the Year End		7,234.66		5,572.82
कुल / TOTAL		**7,234.66**		**5,572.82**
अनुसूची 2 / SCHEDULE 2				
आरक्षितियाँ (रिजर्व्स) तथा अधिशेष (सरप्लस) / RESERVES AND SURPLUS				
ऋण–शोधन निधि (सिंकिंग फंड) / Sinking Fund				
पिछले लेखे के अनुसार / As per Last Account	-		-	
जोड़ें : उद्दिष्ट निवेश (इयरमार्क्ड इन्वेस्टमेंट) से आय/ Add: Income from Earmarked Investment	-		-	
घटाएँ : जो रकम आय–व्यय लेखे में ट्रांसफर की गई / Less: Transfer to Income & Expenditure Account	-		-	
कुल / TOTAL		-		-

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र की भागस्वरूप अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2025

(रकम ₹ करोड़ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण PARTICULARS	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार As at 31-Mar-2025		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार As at 31-Mar-2024	
अनुसूची 3 / **SCHEDULE 3**				
उद्दिष्ट निधियाँ (इयरमार्क्ड फंड) / **EARMARKED FUNDS**				
क) निवेशक संरक्षण और शिक्षण निधि : A) Investor Protection And Education Fund:				
प्रारंभिक शेष (क) / Opening Balance (A)	**533.17**		**240.23**	
निधि (फंड) में जमा / Additions to the Fund				
निवेशों से आय (अनुसूची 11) / Income from Investments (Schedule 11)	42.85		27.66	
अन्य प्राप्तियाँ / Other Receipts	188.12		295.74	
कुल (ख) / Total (B)	**230.97**		**323.40**	
निधि (फंड) का उपयोग / Utilisation of Fund				
आईपीईएफ संबंधी व्यय की राशि (ग)/IPEF Expenses incurred (C)	2.69		2.78	
आईपीईएफ संबंधी व्यय की राशि – जो सेबी के फंड में लौटाई गई (घ) / IPEF expenses refunded to SEBI Fund (D)	-		11.93	
आईपीईएफ संबंधी व्यय की राशि – जो सेबी के फंड में लौटाई जाएगी (ङ) / IPEF expenses payable to SEBI Fund (E)	-		-	
सेबी–आईपीओ रीएलोकेशन–ट्रांच 3 अकाउंट में जमा की गई रकम/ (Amount transferred to SEBI-IPO Reallocation Tranche 3 Account	-		15.75	
कुल मिलाकर शेष (क+ख–ग–घ+ङ) / Net Balance (A+B-C-D+E)		**761.45**		**533.17**
ख) प्रत्यर्पण निधि (डिस्गॉर्जमेंट फंड) / B) Disgorgement Fund				
प्रारंभिक शेष (क) / Opening Balance (A)	7.38		-	
निधि (फंड) में जमा / Additions to the Fund				
निवेशों से आय (अनुसूची 11)/Income from Investments (Schedule 11)	-		-	
अन्य प्राप्तियाँ / Other Receipts	-		-	
सेबी–आईपीओ रीएलोकेशन–ट्रांच 3 अकाउंट से प्राप्त रकम (च)/ Amount recd. from IPEF to SEBI-IPO Reallocation Tranche 3 Account	-		15.75	
कुल (ख) / Total (B)	**-**		**15.75**	
निधि (फंड) का उपयोग / Utilisation of Fund				
निवेशक संरक्षण निधि में पुन: आबंटित राशि / Amount re-allocated to Investors Protection Fund	-		-	
पुन:आबंटन व्यय / Re-allocation Expenses	-		-	
सेबी–आईपीओ रीएलोकेशन–ट्रांच 3 अकाउंट से खर्च की गई रकम/Amount utilised from SEBI-IPO Reallocation Tranche 3 Account	0.01		8.37	
कुल (ग) / Total (C)	**0.01**		**8.37**	
कुल मिलाकर शेष (क+ख–ग) / Net Balance (A+B-C)		**7.37**		**7.38**
कुल / TOTAL		**768.82**		**540.55**
अनुसूची 4 / **SCHEDULE 4**				
जमानती / गैर–जमानती ऋण और उधार :				
SECURED/UNSECURED LOANS AND BORROWINGS :		-		-
कुल / TOTAL		**-**		**-**

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र की भागस्वरूप अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2025

(रकम ₹ करोड़ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण PARTICULARS	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार As at 31-Mar-2025		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार As at 31-Mar-2024	
अनुसूची 5 / SCHEDULE 5				
चालू देयताएँ (करेंट लाइबिलिटीज़) और प्रावधान / CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS				
क) चालू देयताएँ (करेंट लाइबिलिटीज़) A) CURRENT LIABILITIES				
1 विविध लेनदार – / Sundry Creditors				
क) पूँजी हेतु a) For Capital	1.26		107.40	
ख) अन्य (किए गए प्रावधानों सहित) b) Others (Includes Provisions)	76.46	77.72	58.71	166.11
2 प्राप्त अग्रिम / Advance Received		-		-
3 कानूनी प्रावधानों के अनुसार देय रकम (स्टैटयूटरी लाइबिलिटीज़) / Statutory Liabilities				
क) जिन्हें अदा करने का समय बीत चुका हो / a) Overdue	-		-	
ख) अन्य / b) Others	58.93		41.23	
		58.93		41.23
4 अन्य चालू देयताएँ (करेंट लाइबिलिटीज़): / Other Current Liabilities :				
क) प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) के आदेशानुसार जमाराशियाँ a) Deposits Pursuant to SAT Order	1,109.95		1,033.72	
(अनुसूची 19 की टिप्पणी सं.15 देखें) (Refer Note no.15 of Schedule 19)		1,109.95		1,033.72
ख) गोल्डन फॉरेस्टस् (आई) लि. (निजी रिसीवर) b) Golden Forest (I) Ltd. (Private Receiver)	0.51		0.49	
	0.51		0.49	
अनुसूची 19 की टिप्पणी सं. 18(ख) देखें (Refer Note no. 18(b) of Schedule 19)				-
ग) न्यायनिर्णायक अधिकारी (ए.ओ.) द्वारा लगाई गई पेनल्टी पेनल्टी की रकम – जो रख ली गई /जिसका निवेश मीयादी जमाओं (फिक्स्ड डिपॉजिट)में किया गया। c) AO Penalties Retained/ Invested in Fixed Deposit	145.74		103.43	

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र की भागस्वरूप अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2025

(रकम ₹ करोड़ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण PARTICULARS	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार As at 31-Mar-2025		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार As at 31-Mar-2024	
अनुसूची 19 की टिप्पणी संख्या 13 देंखे. (Refer Note no.13 of Schedule 19)		145.74		103.43
घ) उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जमाराशियाँ d Deposit Persuant to Supreme Court Order	373.53		282.41	
अनुसूची 19 की टिप्पणी संख्या 16 देंखे. (Refer Note no.16 of Schedule 19)		373.53		282.41
ङ) वसूली कार्यवाहियों (रिकवरी प्रोसीडिंग्स) से संबंधित देयताएँ (लाइबिलिटीज़) e) Recovery Proceedings Liabilities	768.34		428.21	
अनुसूची 19 की टिप्पणी संख्या 14 देंखे. (Refer Note no.14 of Schedule 19)		768.34		428.21
च) अन्य देयताएँ f) Other Liabilities		146.24		32.71
कुल (क) /TOTAL (A)		**2,680.45**		**2,087.82**
ख) प्रावधान B) PROVISIONS				
1 **उपदान (ग्रेट्यूटि)/ Gratuity**				
प्रसुविधा बाध्यता (बेनिफिट ऑब्लीगेशन) का वर्तमान मूल्य / Present Value of Benefit Obligation	178.75		165.65	
घटाएँ : योजनागत आस्तियों (प्लान असेटस) का उचित मूल्य (फेयर वैल्यू)/Less : Fair Value of Plan Assets	173.79		154.76	
घटाएँ : गैर–अभिज्ञात पूर्व सेवा लागत Less : Unrecognised Past Service Cost	-	4.96	-	10.89
2 **छुट्टियों का नकदीकरण (छुट्टियाँ भुनाना) /Leave Encashment**				
प्रसुविधा बाध्यता (बेनिफिट ऑब्लिगेशन) का वर्तमान मूल्य / Present Value of Benefit Obligation	289.00		263.38	
घटाएँ : योजनागत आस्तियों (प्लान असेट्स) का उचित मूल्य (फेयर वैल्यू) / Less : Fair Value of Plan Assets	266.53	22.47	258.84	4.55

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र की भागस्वरूप अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2025

(रकम ₹ करोड़ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण PARTICULARS		31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार As at 31-Mar-2025		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार As at 31-Mar-2024	
3	**चिकित्सा सहायता निधि / Medical Assistance Fund**	7.03		6.64	
	घटाएँ: मीयादी जमाओं (फिक्स्ड डिपॉजिट) में पड़ी रकम Less: Amount in Fixed Deposits	5.25	1.78	5.25	1.39
4	**अन्य /OTHERS**				
	प्रतिनियुक्त व्यक्तियों हेतु पेंशन / Pension to Deputationist	-		-	
	छुट्टी वेतन अंशदान – प्रतिनियुक्त व्यक्तियों हेतु / Leave Salary Contribution-Deputationist	-		-	
	प्रतिनियुक्त व्यक्तियों हेतु पेंशन / Pension to Deputationist	-		-	
	छुट्टी वेतन अंशदान – प्रतिनियुक्त व्यक्तियों हेतु / Leave Salary Contribution-Deputationist	-		-	
	वेतन हेतु बकाया राशि /Arrears for Salary	163.26		94.62	
	भविष्य निधि / Provident Fund	43.78		59.51	
			207.04		154.13
कुल (ख) /TOTAL (B)			**236.25**		**170.96**
कुल (क + ख) /TOTAL (A + B)			**2,916.70**		**2,258.78**

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र की भागस्वरूप अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2025
सारांश – अनुसूची 6 की रिपोर्ट
SUMMARY – SCHEDUEL VI REPORT

अनुसूची 6 : अचल आस्तियाँ

SCHEDULE 6 : FIXED ASSETS

(रकम ₹ करोड़ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / DESCRIPTION	सकल ब्लॉक / GROSS BLOCK				मूल्यह्रास / DEPRECIATION				निवल ब्लॉक / NET BLOCK	
	वर्ष की शुरुआत में लागत/ मूल्यांकन COST/ VALUATION AS AT BEGINNING OF THE YEAR	वर्ष के दौरान परिवर्धन ADDITIONS DURING THE YEAR	वर्ष के दौरान कटौतियाँ DEDUCTIONS DURING THE YEAR	वर्ष के अंत में लागत / मूल्यांकन COST/ VALUATION AT THE YEAR END	वर्ष की शुरुआत में AS AT THE BEGINNING OF THE YEAR	वर्ष के दौरान DURING THE YEAR	वर्ष के दौरान कटौती पर ON DEDUCTION DURING THE YEAR	वर्ष के अंत में कुल TOTAL UP TO THE YEAR END	चालू वर्ष के अंत में AS AT THE CURRENT YEAR-END	पिछले वर्ष के अंत में AS AT THE PREVIOUS YEAR-END
मूर्त आस्तियाँ (टैंजिबल असेट)/ **TANGIBLE ASSETS**										
1. भूमि / LAND :										
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि / Freehold Land	56.82	0.00	0.00	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00	56.82	56.82
पट्टेवाली भूमि / Leasehold Land	853.18	0.00	0.00	853.18	77.98	12.40	0.00	90.38	762.80	775.21
2. भवन / BUILDINGS :										
क) पट्टेवाली भूमि संबंधी a) On Leasehold										
कार्यालय परिसर / Office Premises	212.60	20.57	1.00	232.17	72.61	9.32	0.33	81.60	150.57	139.99
रिहायशी भवन/ Residential Buildings	65.79	0.00	0.00	65.79	46.87	2.11	0.00	48.98	16.80	18.91
ख) स्वामित्व आधार वाले फ्लैट / परिसर b) Ownership Flat/ Premises										
कार्यालय परिसर / Office Premises	498.01	0.00	0.01	498.00	146.04	14.81	0.01	160.83	337.17	351.98
रिहायशी फ्लैट / Residential Flats	55.99	0.00	0.00	55.99	32.70	1.61	0.00	34.31	21.67	23.29
3. वाहन / VEHICLES	25.17	5.63	5.65	25.15	12.93	3.79	3.62	13.10	12.04	12.23
4. फर्नीचर आदि / FURNITURE & FIXTURES	96.52	4.22	3.15	97.59	68.72	10.18	2.75	76.15	21.44	27.80
5. कार्यालय के उपकरण आदि / OFFICE EQUIPMENTS	52.33	5.79	1.60	56.51	28.60	5.85	1.49	32.95	23.56	23.73
6. **कंप्यूटर / सहायक उपकरण** COMPUTER/PERIPHERALS	139.44	122.76	0.00	262.20	115.63	41.04	0.00	156.67	105.53	23.81
सॉफ्टवेयर / Software	177.10	40.29	1.66	215.74	159.58	19.01	0.00	178.59	37.15	17.52
7. **बिजली की फिटिंग आदि / ELECTRICAL INSTALLATIONS**	18.89	3.31	0.49	21.71	17.07	0.62	0.36	17.33	4.38	1.82
चालू वर्ष का कुल / TOTAL OF CURRENT YEAR	**2,251.83**	**202.57**	**13.57**	**2,440.83**	**778.72**	**120.73**	**8.56**	**890.90**	**1,549.94**	**1,473.11**
पिछला वर्ष / PREVIOUS YEAR	**2,211.28**	**68.70**	**28.16**	**2,251.83**	**719.67**	**94.56**	**35.51**	**778.72**	**1,473.11**	**1,491.61**
पूँजीगत प्रक्रियाधीन कार्य / (कैपिटल वर्क-इन-प्रोग्रेस) CAPITAL WORK IN PROGRESS	**136.97**	**117.25**	**231.66**	**22.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22.56**	**136.97**
कुल / T O T A L									**1,572.50**	**1,610.07**

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र की भागस्वरूप अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2025

(रकम ₹ करोड़ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण PARTICULARS	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार As at 31-Mar-2025	31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार As at 31-Mar-2024
अनुसूची 7 / **SCHEDULE 7**		
उद्दिष्ट निधियों (इयरमार्क्ड फंड) से निवेश / INVESTMENTS FROM EARMARKED FUNDS		
क) निवेशक संरक्षण और शिक्षण निधि :		
A) Investor Protection And Education Fund:		
i) अनुसूचित बैंकों में जमाराशियाँ/ Deposits with Scheduled Banks	719.85	481.78
ख) प्रत्यर्पण निधि (डिस्गॉर्जमेंट फंड)		
B) Disgorgement Fund		
i) अनुसूचित बैंकों में जमाराशियाँ / Deposits with Scheduled Banks	-	-
ग) अन्य उद्दिष्ट निवेश (इयरमार्क्ड इन्वेस्टमेंट):		
C) Other earmarked Investments:		
i) प्रतिभूति अपीलीय न्यायधीकरण (सैट) के आदेशानुसार मिली जमाराशि का निवेश / Investment of Deposits pursuant to SAT order (अनुसूची 19 की टिप्पणी सं. 15 देखें) (Refer Note no.15 of Schedule 19)	1,108.99	1,031.31
ii) उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार मिली जमाराशि का निवेश Investment of Deposits pursuant to Supreme Court Oder (अनुसूची 19 की टिप्पणी सं. 16 देखें) (Refer Note no.16 of Schedule 19)	373.54	282.41
iii) न्यायनिर्णायक अधिकारी (ए.ओ.) द्वारा लगाई गई पेनल्टी की उस रकम का निवेश जो मीयादी जमाओं (फिक्स्ड डिपॉजिट) के तौर पर रखी गई Investment of AO penalties retained in Fixed Deposits (अनुसूची 19 की टिप्पणी सं. 13 देखें) (Refer Note no.13 of Schedule 19)	156.82	100.84
iv) वसूली कार्यवाहियों से प्राप्त रकम का निवेश Investment of Recovery Proceedings (अनुसूची 19 की टिप्पणी सं. 14 देखें) (Refer Note no.14 of Schedule 19)	862.24	435.81
कुल / TOTAL	**3,221.43**	**2,332.15**
अनुसूची 8 / **SCHEDULE 8**		
निवेश - अन्य / INVESTMENTS - OTHERS		
क) बॉण्ड - सरकारी प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) /[अनुसूची - 8(क) देखें]		
A) Bonds-Government Securities /(Refer Schedule -8A)	2,857.28	1,255.31
ख) अनुसूचित बैंकों में जमाराशियाँ : (अनुसूची 19 का टिप्पण सं. 17 देखें) /		
B) Deposits with Scheduled Banks : / (Refer Note no. 17 of Schedule 19)	2,215.60	1,235.92
ग) संस्थाओं में जमाराशियाँ		
C) Deposits with Institutions	-	-
घ) एन.सी.एफ.ई. में किया गया अभिदान (सब्सक्रिप्शन) /[3 करोड़ शेयर जिसका अंकित मूल्य (फेस वैल्यू) ₹ 10 है फुली पेड-अप (पूर्णतः समादत्त)]		
D) Subscription towards NCFE / (3 crore shares with face value of ₹ 10 as fully paid up)	30.00	30.00
कुल / TOTAL	**5,102.88**	**2,521.23**

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र की भागस्वरूप अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2025

अनुसूची – 8क – बॉण्ड मे निवेश – सरकारी प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़)
SCHEDULES 8A - INVESTMENT IN BONDS-GOVERNMENT SECURITIES

(रकम ₹ करोड़ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	अंकित मूल्य Face Value	खरीद की कीमत Purchase Price	अदा किया गया प्रीमियम Premium Paid	31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार प्रीमियम (जिसे अमोरटाइज़ किया गया) Premium Amortised till 31.03.2024	वर्ष 2024–25 के दौरान प्रीमियम (जिसे अमोरटाइज़ किया गया) Premium Amortised during 2024-25	31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार प्रीमियम (जिसे अमोरटाइज़ किया गया) Premium Amortised till 31.03.2025	31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार बॉण्ड का मूल्य Bond Value as on 31.03.2025
8.97% जीओआई 5 दिसम्बर, 2030 8.97% GOI 05 Dec, 2030	25.00	27.44	2.44	0.51	0.29	0.80	26.64
8.33% जीओआई 7 जून, 2036 8.33% GOI 07 Jun, 2036	60.00	63.75	3.75	0.47	0.27	0.74	63.01
8.32% जीओआई 2 अगस्त, 2032 8.32% GOI 02 Aug, 2032	135.00	156.26	21.26	6.41	1.78	8.19	148.07
8.20% जीओआई 24 सितम्बर, 2025 8.20% GOI 24 Sep, 2025	60.00	66.60	6.60	4.64	1.32	5.96	60.64
7.73% जीओआई 19 दिसम्बर, 2034 7.73% GOI 19 Dec, 2034	50.00	55.17	5.17	1.08	0.39	1.47	53.70
7.40% जीओआई 9 सितम्बर, 2035 7.40% GOI 09 Sep, 2035	190.00	204.30	14.30	2.85	1.00	3.85	200.45
7.26% जीओआई 22 अगस्त, 2032 7.26% GOI 22 Aug, 2032	5.00	5.08	0.08	0.00	0.02	0.02	5.06
7.10% जीओआई 18 अपैल, 2029 7.10% GOI 18 Apr, 2029*	30.00	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	29.73
6.79% जीओआई 18 दिसम्बर, 2029 6.79% GOI 26 Dec, 2029*	25.00	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	24.26
6.79% जीओआई 15 मई, 2027 6.79% GOI 15 May, 2027	165.00	172.10	7.10	3.78	1.06	4.84	167.26
6.67% जीओआई 15 दिसम्बर, 2035 6.67% GOI 15 Dec, 2035*	100.00	96.47	0.00	0.00	0.00	0.00	96.47
6.64% जीओआई 16 जून, 2035 6.64% GOI 16 Jun, 2035	150.00	151.08	1.08	0.22	0.08	0.30	150.78
6.54% जीओआई 17 जनवरी, 2032 6.54% GOI 17 Jan, 2032*	45.00	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	43.60
07.44% आरएजे एसजीएस 2034 07.44% RAJ SGS 2034	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र की भागस्वरूप अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2025

अनुसूची – 8क – बॉण्ड मे निवेश – सरकारी प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़)
SCHEDULES 8A - INVESTMENT IN BONDS-GOVERNMENT SECURITIES

(रकम ₹ करोड़ में / Amount in ₹ Crore)

07.47% एमएएच एसजीएस 2036 07.47% MAH SGS 2036	32.76	32.93	0.18	0.00	0.02	0.02	32.92
07.46% एमएएच एसजीएस 2035 07.46% MAH SGS 2035	8.75	8.78	0.04	0.00	0.00	0.00	8.78
07.47% एचएआर एसजीएस 2036 07.47% HAR SGS 2036	46.07	46.29	0.21	0.02	0.00	0.02	46.27
07.44% एचएआर एसजीएस 2033 07.44% HAR SGS 2033	10.00	10.03	0.03	0.00	0.00	0.00	10.02
07.49% सीएचएच एसजीएस 2035 07.49% CHH SGS 2035	20.00	20.10	0.10	0.00	0.01	0.01	20.09
07.49% एचएआर एसजीएस 2035 07.49% HAR SGS 2035	20.00	20.09	0.09	0.00	0.01	0.01	20.08
07.49% केआरएल एसजीएस 2036 07.49% KRL SGS 2036	20.00	20.08	0.08	0.00	0.01	0.01	20.07
07.48% यूटीपी एसजीएस 2036 07.48% UTP SGS 2036	14.67	14.73	0.05	0.00	0.00	0.00	14.72
07.50% एपीएच एसजीएस 2032 07.50% APH SGS 2032	24.54	24.57	0.03	0.00	0.00	0.00	24.56
07.52% एचएआर एसजीएस 2034 07.52% HAR SGS 2034	76.39	76.56	0.17	0.00	0.02	0.02	76.54
07.52% आरएजे एसजीएस 2034 07.52% RAJ SGS 2034	55.29	55.42	0.13	0.00	0.01	0.01	55.41
07.53% एपीएच एसजीएस 2036 07.53% APH SGS 2036	105.00	105.28	0.28	0.00	0.02	0.02	105.26
07.53% पीयूएन एसजीएस 2036 07.53% PUN SGS 2036	1.43	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
07.54% एएसएस एसजीएस 2034 07.54% ASS SGS 2034	102.03	102.24	0.21	0.00	0.02	0.02	102.22
07.54% पीयूएन एसजीएस 2034 07.54% PUN SGS 2034	51.38	51.50	0.12	0.00	0.01	0.01	51.49
07.55% पीयूएन एसजीएस 2034 07.55% PUN SGS 2034	120.00	120.34	0.34	0.00	0.04	0.04	120.30
07.64% एमपीएच एसजीएस 2934 07.64% MPH SGS 2934	235.00	237.16	2.16	0.00	0.22	0.22	236.94
07.47% टिईएल एसजीएस 2036 07.47% TEL SGS 2036	92.85	93.14	0.29	0.00	0.02	0.02	93.12

31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र की भागस्वरूप अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2025

अनुसूची – 8क – बॉण्ड मे निवेश – सरकारी प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़)
SCHEDULES 8A - INVESTMENT IN BONDS-GOVERNMENT SECURITIES

(रकम ₹ करोड़ में / Amount in ₹ Crore)

07.48% यूटीपी एसजीएस 2036 07.48% UTP SGS 2036	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
07.49% टीएएम एसजीएस 2034 07.49% TAM SGS 2034	10.00	10.04	0.04	0.00	0.00	0.00	10.03
07.49% यूटीपी एसजीएस 2036 07.49% UTP SGS 2036	20.00	20.06	0.06	0.00	0.00	0.00	20.06
07.52% एचएआर एसजीएस 2034 07.52% HAR SGS 2034	10.00	10.05	0.05	0.00	0.00	0.00	10.05
07.52% आरएजे एसजीएस 2034 07.52% RAJ SGS 2034	15.00	15.08	0.08	0.00	0.01	0.01	15.08
07.49% यूटीपी एसजीएस 2032 07.49% PUN 03 Apr, 2032*	75.00	74.99	0.00	0.00	0.00	0.00	74.99
07.47% सीएचएच 20 मार्च, 2033 07.47% CHH 20 Mar, 2033*	40.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	39.93
07.39% सीएचएच 13 मार्च, 2033 07.39% CHH 13 Mar, 2033*	20.00	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	19.86
07.49% एचएआर एसजीएस 2035 07.49% HAR SGS 2035*	35.00	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	34.98
07.42% आरएजे 22 मई, 2032 07.42% RAJ 22 May, 2032	10.00	10.06	0.06	0.00	0.01	0.01	10.06
07.42% एचएआर 22 मई, 2034 07.42% HAR 22 May, 2034	15.00	15.11	0.11	0.00	0.01	0.01	15.10
07.42% एचएआर 08 नवम्बर, 2035 07.42% HAR 08 Nov, 2035	50.00	51.51	1.51	0.00	0.09	0.09	51.42
07.45% केएआर 20 मार्च, 2035 07.45% KAR 20 Mar, 2035	21.16	21.38	0.22	0.00	0.01	0.01	21.37
07.48% यूटीपी 20 मार्च, 2036 07.48% UTP 20 Mar, 2036	0.34	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
07.34% टीएएम 24 जुलाई, 2034 07.34% TAM 24 Jul, 2034	35.00	35.09	0.09	0.00	0.01	0.01	35.08
07.48% यूटीपी 20 मार्च, 2036 07.48% UTP 20 Mar, 2036	2.14	2.17	0.03	0.00	0.00	0.00	2.17
07.35% एचआईएम 18 जुलाई, 2034 07.35% HIM 18 Jul, 2034	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39
07.39% टीएएम 26 जुलाई, 2033 07.39% TAM 26 Jul, 2033	0.89	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90

31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र की भागस्वरूप अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2025

अनुसूची – 8क – बॉण्ड मे निवेश – सरकारी प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़)
SCHEDULES 8A - INVESTMENT IN BONDS-GOVERNMENT SECURITIES

(रकम ₹ करोड़ में / Amount in ₹ Crore)

07.35% एचआईएम 18 जुलाई, 2034 07.35% HIM 18 Jul, 2034	25.00	25.21	0.21	0.00	0.01	0.01	25.19
07.34% टीईएल 19 जनवरी, 2034 07.34% TEL 19 Jan, 2034	40.00	40.32	0.32	0.00	0.02	0.02	40.30
07.45% केएआर 20 मार्च, 2035 07.45% KAR 20 Mar, 2035	5.00	5.08	0.08	0.00	0.00	0.00	5.08
07.36% आरएजे 24 जुलाई, 2034 07.36% RAJ 24 Jul, 2034	3.68	3.72	0.04	0.00	0.00	0.00	3.72
07.42% आरएजे 22 जुलाई, 2032 07.42% RAJ 22 May, 2032	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
07.34% पीयूएन 31 जुलाई, 2035 07.34% PUN 31 Jul, 2035	15.00	15.13	0.13	0.00	0.01	0.01	15.12
07.47% एमएएच 13 सितम्बर, 2034 07.47% MAH 13 Sep, 2034	10.00	10.20	0.20	0.00	0.01	0.01	10.19
07.47% एमएएच 13 सितम्बर, 2034 07.47% MAH 13 Sep, 2034	4.04	4.12	0.08	0.00	0.00	0.00	4.11
07.34% टीईएल 19 जनवरी, 2034 07.34% TEL 19 Jan, 2034	60.00	60.56	0.56	0.00	0.03	0.03	60.52
07.25% बीआईएच 28 अगस्त, 2033 07.25% BIH 28 Aug, 2033	55.00	55.18	0.18	0.00	0.01	0.01	55.17
07.25% बीआईएच 28 अगस्त, 2033 07.25% BIH 28 Aug, 2033	1.23	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
07.24% एचएआर 28 अगस्त, 2036 07.24% HAR 28 Aug, 2036	32.29	32.39	0.10	0.00	0.00	0.00	32.38
07.42% आरएजे 22 मई, 2032 07.42% RAJ 22 May, 2032	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
07.47% एमएएच 13 जुलाई, 2034 07.47% MAH 13 Sep, 2034	18.92	19.30	0.39	0.00	0.02	0.02	19.28
07.39% टीएएम 26 जुलाई, 2033 07.39% TAM 26 Jul, 2033	40.00	40.75	0.75	0.00	0.04	0.04	40.70
07.26% टीईएल 14 अगस्त, 2035 07.26% TEL 14 Aug, 2035	5.00	5.06	0.06	0.00	0.00	0.00	5.05
07.25% एचएआर 04 सितम्बर, 2036 07.25% HAR 04 Sep, 2036	35.00	35.36	0.36	0.00	0.02	0.02	35.34
07.24% आरएजे 04 सितम्बर, 2034 07.24% RAJ 04 Sep, 2034	25.00	25.21	0.21	0.00	0.01	0.01	25.19

31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र की भागस्वरूप अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2025

अनुसूची – 8क – बॉण्ड मे निवेश – सरकारी प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़)
SCHEDULES 8A - INVESTMENT IN BONDS-GOVERNMENT SECURITIES

(रकम ₹ करोड़ में / **Amount in ₹ Crore)**

07.25% एचएआर 04 सितम्बर, 2036 07.25% HAR 04 Sep, 2036	2.92	2.95	0.03	0.00	0.00	0.00	2.95
कुल Total	**2,818.18**	**2,884.25**	**72.24**	**19.98**	**6.98**	**26.96**	**2,857.29**
पिछले वर्ष का शेष Previous year bal.	1218.79	1275.30	62.56	13.77	6.21	19.98	1255.31

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र की भागस्वरूप अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2025

(रकम ₹ करोड़ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण PARTICULARS	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार As at 31-Mar-2025		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार As at 31-Mar-2024	
अनुसूची 9 / SCHEDULE 9				
चालू आस्तियाँ (करेंट असेट), ऋण, अग्रिम आदि				
CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.				
क) चालू आस्तियाँ (करेंट असेट) : A) CURRENT ASSETS :				
1. विविध देनदार / Sundry Debtors				
क) छह महीनों से अधिक की अवधि के लिए बकाया ऋण a) Debts Outstanding for a period exceeding six months				
शोध्य माने गए / Considered Good	-		-	
संदिग्ध माने गए / Considered Doubtful	-		-	
	-		-	
ख) अन्य / b) Others	239.01		1,201.28	
(अनुसूची 19 की टिप्पणी सं. 10 देखें) / (Refer Note no.10 of Schedule 19)	239.01		1,201.28	
घटाएँ : संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान / Less : Provision for Doubtful Debts	-		-	
		239.01		1,201.28
2. नकदी शेष [(चेकों / ड्राफ्टों तथा अग्रदाय राशि (इम्प्रेस्ट) सहित)] / Cash Balances in Hand (including cheques/drafts and imprest)				
नकदी शेष / Cash in Hand	0.07		0.01	
उगाही संबद्ध चेक / Cheque in Hand	-		-	
		0.07		0.01
3. बैंक शेष / Bank Balances				
अनुसूचित बैंकों में / With Scheduled Banks:				
चालू / बचत खातों में In Current/Savings Bank Accounts		233.58		99.25
(बैंक खाता की शेष राशि हेतु अनुसूची 19 की टिप्पणी सं. 7 देखें) (Refer Note no. 7 of Schedule 19 for Bank a/c bal.)				
चालू / बचत खातों में (सेबी आई.पी.ई.एफ.) In Current/Savings Accounts SEBI IPEF		0.96		30.41
4. लेखन-सामग्री का स्टॉक / Stock of Stationery		-		-
5. आई.पी.ई.एफ. के संबंध में किए गए व्यय - प्राप्य / IPEF Expenses receivable		-		-
कुल (क) / TOTAL (A)		**473.62**		**1,330.95**

31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र की भागस्वरूप अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2025

(रकम ₹ करोड़ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण PARTICULARS	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार As at 31-Mar-2025		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार As at 31-Mar-2024	
ख) ऋण, अग्रिम और अन्य आस्तियाँ (असेट) **B) LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS**				
1. स्टाफ सदस्यों को ऋण / Loans to staff		182.97		146.52
2. वसूली योग्य अग्रिम तथा अन्य रकम – नकदी या वस्तु रूप में या मूल्य एवज में / Advances and Other Amount Recoverable in Cash or in Kind or for Value to be Received :				
क) पूँजीगत लेखे पर (कैपिटल अकाउंट)/ a) On Capital Account	1.14		0.72	
ख) पूर्व भुगतान / b) Prepayments	4.65		4.89	
ग) जमाराशियाँ / c) Deposits				
– परिसरों के लिए / for Premises	2.25		0.92	
– अन्य / Others	1.40		1.38	
– स्रोत पर लिया जाने वाला कर – टीसीएस– प्राप्य / Tax Collected at Source – TCS - Receivable	0.03		0.02	
– कुल – इनपुट टैक्स क्रेडिट / Total- Input Tax Credit	6.35		14.45	
– कुल – प्राप्य एसजीएसटी पर टीडीएस / Total - TDS on SGST receivable	-			
घ) अन्य अग्रिम / d) Others Advances	20.08		32.85	
ङ) अन्य प्राप्य राशि / e) Others Receivable	29.95		24.04	
		65.87		79.29
3. एनआईएसएम को दिया गया पूँजीगत अग्रिम (कैपिटल एडवांस) / Capital Advance to NISM		0.07		0.07
4. उपचित आय (इनकम अक्रूड) [देय नहीं – जब तक कि अन्य कोई उल्लेख न किया जाए]:/ Income Accrued (Not due unless otherwise stated) :				
क) उद्दिष्ट निधि (इयरमार्क्ड फंड) से निवेशों पर a) On Investments from Earmarked Fund	42.09		22.31	
ख) वसूली से मिली रकम पर / b) On Recovery Proceeds	8.51		7.47	
ग) निवेशों पर – सेबी की चिकित्सा सहायता निधि c) On Investments-SEBI Medical Asst. Fund	0.35		0.26	
घ) निवेशों पर – अन्य / d) On Investments-Others	123.03		229.40	
ङ) निवेशों पर – बॉण्ड /e) On Investments-Bonds	50.30		18.08	
च) ऋणों तथा अग्रिमों पर f) On Loans and Advances	76.56		74.35	
		300.84		351.87
कुल (ख) / TOTAL (B)		**549.75**		**577.75**
कुल (क+ख) / TOTAL (A+ B)		**1,023.37**		**1,908.70**

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के आय–व्यय लेखे की भागस्वरूप अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2025

(रकम ₹ करोड़ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण PARTICULARS	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-Mar-2025	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-Mar-2024
अनुसूची 10 / SCHEDULE 10		
फीस / अभिदान (सब्सक्रिप्शन) / FEES/SUBSCRIPTIONS		
वार्षिक फीस / अभिदान (सब्सक्रिप्शन) से आय / Income from Annual Fees/Subscriptions	1,446.27	1,205.74
स्टॉक एक्सचेंजों से सूचीबद्धता (लिस्टिंग) फीस अंशदान / Listing Fees Contribution from Stock Exchanges	41.10	33.78
रजिस्ट्रीकरण फीस / Registration Fees	395.82	284.86
नवीकरण (रिनुअल) फीस / Renewal Fees	18.58	38.36
आवेदन फीस / Application Fees	16.18	6.48
प्रस्ताव दस्तावेजों (ऑफर डॉक्यूमेंट्स) हेतु फीस / Fees for Offer Documents	405.05	270.66
अधिग्रहण (टेकओवर) संबंधी विनियमों (रेग्यूलेशन्स) से संबंधित फीस / Fees for Takeover Regulations	11.02	11.53
विविध आय / Miscellaneous Income	0.07	0.07
कुल / TOTAL	**2,334.08**	**1,851.48**

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के आय–व्यय लेखे की भागस्वरूप अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2025

(रकम ₹ करोड़ में / Amount in ₹ Crore)

निवेश से आय / INCOME FROM INVESTMENT	उद्दिष्ट निधि से निवेश – आइपीईएफ	
	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-Mar-2025	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-Mar-2024
अनुसूची 11 / **SCHEDULE 11**		
निवेश से आय – आई.पी.ई.एफ. / Income From Investment - IPEF		
ब्याजः / Interest :		
बैंकों में जमाराशि / Deposit with Banks	42.85	27.66
संस्थाओं में जमाराशि / Deposits with Institutions	-	-
	42.85	27.66
उद्दिष्ट निधि (इयरमार्क्ड फंड) से निवेश – प्रत्यर्पण (डिस्गॉर्जमेंट) / Investment from Earmarked Fund -Discouragement		
ब्याजः / Interest :		
बैंकों में जमाराशि / Deposit with Banks	-	-
संस्थाओं में जमाराशि / Deposits with Institutions	-	-
	-	**-**
निवेश से आय – अन्य/ Income from Investments - others		
ब्याजः / Interest :		
बॉण्डों पर / On Bonds	187.03	76.49
बैंकों में जमाराशि पर / Deposit with Banks	138.44	115.92
संस्थाओं में जमाराशि पर / Deposits with Institutions	-	-
कुल / **TOTAL**	**325.47**	**192.41**

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के आय–व्यय लेखे की भागस्वरुप अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2025

(रकम ₹ करोड़ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण PARTICULARS	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-Mar-2025	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-Mar-2024
अनुसूची 12 / SCHEDULE 12		
अर्जित ब्याज / INTEREST EARNED		
बैंकों में अल्पकालिक मीयादी जमा (फिक्स्ड डिपॉज़िट) पर ब्याज / Interest on Short Term Fixed Deposit with Banks	-	0.03
अनुसूचित बैंकों में बचत बैंक खाते पर ब्याज / Interest on Savings Accounts with Scheduled Banks	4.42	5.80
कर्मचारियों को दिए गए ऋणों पर ब्याज / On Loans to Employees	8.92	7.40
दलालों तथा अन्यों से ब्याज / Interest from Brokers and Others	1.89	0.07
कुल / TOTAL	**15.22**	**13.30**
अनुसूची 13 / SCHEDULE 13		
अन्य आय / OTHER INCOME		
आस्तियों (असेट्स) की बिक्री से हुआ लाभ / Profit on Sale of Assets	-	-
प्राप्त किराया / Rent Received	16.01	16.25
विविध आय / Miscellaneous Income	21.88	1.49
कुल / TOTAL	**37.89**	**17.74**

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के आय–व्यय लेखे की भागस्वरुप अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2025

(रकम ₹ करोड़ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण PARTICULARS	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-MAR-2025	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-MAR-2024
अनुसूची 14 / SCHEDULE 14		
स्थापना व्यय / ESTABLISHMENT EXPENSES		
वेतन और मजदूरी /Salaries and Wages	408.27	410.00
भत्ते और बोनस / Allowances and Bonus	221.49	181.28
भविष्य निधि में अंशदान / Contribution to Provident Fund	27.45	44.61
राष्ट्रीय पेंशन योजना में अंशदान / Contribution to National Pension Scheme	10.06	8.95
कर्मचारी प्रसुविधाएँ (बेनिफिट)/ Employee Benefits		
उपदान (ग्रेट्युटी) हेतु प्रावधान / Provision for Gratuity	4.97	11.25
छुट्टी के नकदीकरण हेतु प्रावधान /Provision for Leave Encashment	22.48	4.54
स्टाफ कल्याण व्यय / Staff Welfare Expenses	39.66	35.80
कुल / TOTAL	**734.37**	**696.43**

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के आय–व्यय लेखे की भागस्वरूप अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2025

(रकम ₹ करोड़ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण PARTICULARS	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-Mar-2025	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-Mar-2024
अनुसूची 15 / SCHEDULE 15		
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि / OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC.		
बिजली तथा ऊर्जा / Electricity and Power	12.30	9.68
जल प्रभार / Water Charges	1.04	0.86
बीमा / Insurance	0.68	0.92
मरम्मत एवं रखरखाव / Repair and Maintenance :		
भवन एवं परिसर / Building and Premises	40.53	70.88
फर्नीचर आदि / Furnitures & Equipments	34.99	20.29
किराया, दरें एवं कर / Rent, Rates and Taxes	19.20	19.51
वाहनों को चलाने एवं उनके रखरखाव, यात्रा और सवारी संबंधी/ Vehicles Running and Maintenance, Travelling and Conveyance	18.48	16.15
डाक व्यय, दूरभाष एवं संचार संबंधी प्रभार / Postage, Telephone and Communication Charges	2.15	1.20
मुद्रा एवं लेखन सामग्री / Printing and Stationery	1.53	1.33
संगोष्ठी / कार्यशालाओं संबंधी व्यय /Expenses on Seminar/Workshops	5.55	4.85
भर्ती संबंधी व्यय / Recruitment Expenses	3.52	0.65
अभिदान (सब्सक्रिप्शन) संबंधी व्यय / Subscription Expenses	1.54	1.70
लेखापरीक्षकों (ऑडिटर) का पारिश्रमिक /Auditors Remuneration	0.07	0.07
निवेशक शिक्षण / शिकायत निवारण संबंधी व्यय / Investor Education/Grievances Redressal Expenses	0.01	0.27
व्यावसायिक एवं विधिक व्यय / Professional & Legal Expenses	36.11	47.66
विज्ञापन एवं प्रचार / Advertisement and Publicity	1.13	1.61
अनुसंधान एवं परामर्श फीस / Research and Consultation Fees	0.11	0.10
बैठक संबंधी व्यय / Meeting Expenses	1.57	1.37
अतिथि गृह संबंधी व्यय / Guest House Expenses	1.07	0.69
सुरक्षाकर्मियों संबंधी व्यय / Security Guards Expenses	5.87	7.21
आस्तियों (असेट्स) की बिक्री से हुआ नुकसान / Loss on Sale of Assets	0.31	0.32
विविध व्यय / Miscellaneous Expenses	8.86	10.46
कुल / TOTAL	**196.61**	**217.78**
अनुसूची 16 / SCHEDULE 16		
ब्याज / INTEREST		
ब्याज – अन्य / Interest Others	-	-
कुल / TOTAL	**-**	**-**

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के आय–व्यय लेखे की भागस्वरुप अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2025

(रकम ₹ करोड़ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण PARTICULARS	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-Mar-2025	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-Mar-2024
अनुसूची 17 / SCHEDULE 17		
पूर्व अवधि समायोजन (प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट) / PRIOR PERIOD ADJUSTMENT		
आय / INCOME		
रजिस्ट्रीकरण फीस / Registration Fees	5.83	0.54
सूचीबद्धता (लिस्टिंग) फीस / Listing Fees	-	-
किराया / Rent	-	0.06
विविध आय / Miscellaneous Income	0.25	-
अर्जित ब्याज / Interest Earned	2.46	-
कुल (क) / TOTAL (A)	**8.54**	**0.60**
व्यय / EXPENDITURE		
स्थापना व्यय / Establishment Expenses	1.74	2.71
प्रशासनिक व्यय / Administrative Expenses		
विधिक व्यय / Legal Expenses	(0.12)	0.08
मरम्मत एवं रखरखाव / Repairs and Maintenance	(1.56)	1.73
अन्य / Others	0.61	0.55
मूल्यह्रास (डेप्रीसिएशन) / Depreciation	-	-
कुल (ख) / TOTAL (B)	**0.67**	**5.07**
कुल (क) – (ख) / TOTAL (A) - (B)	**7.87**	**(4.47)**

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की भागस्वरूप अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2025

अनुसूची – 18: महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ
SCHEDULE - 18: SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (''बोर्ड'') भारत सरकार द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के परामर्श से अपने वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करता है और लेखों की लेखापरीक्षा प्रत्येक वर्ष भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है।

SEBI ("the Board") prepares its annual financial statements in the format prescribed by the Government of India in consultation with the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) and the accounts are audited by the C&AG every year.

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ /SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

बोर्ड के वित्तीय विवरण उन लेखा नीतियों एवं पद्धतियों के आधार पर तैयार किए जाते हैं, जिनका भारत में आम तौर पर अनुसरण किया जाता है, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में सामान्यतया मान्य लेखाकरण सिद्धाँतों ('भारत के सामान्यतया मान्य लेखाकरण सिद्धाँत') के नाम से जाना जाता है । बोर्ड द्वारा लगातार निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों को अपनाया जाता है, जब तक कि अन्यथा कोई उल्लेख न किया जाए :–

The financial statements of the Board are prepared based on accounting policies and practices generally followed in India, which in normal parlance are known as Generally Accepted Accounting Principles (Indian GAAP). The significant accounting policies consistently followed by the Board, unless otherwise stated, are mentioned below: -

1. लेखा पद्धति /Accounting Convention

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी लागू लेखा–मानकों तथा सामान्यतया मान्य लेखाकरण सिद्धाँतों के अनुसार, उपचय आधार (एक्रुअल बेसिस) पर परंपरागत लागत पद्धति (हिस्टॉरिकल कॉस्ट कन्वेंशन) के अंतर्गत वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं (जब तक कि अन्यथा कोई उल्लेख न किया जाए) ।

The financial statements are prepared under the historical cost convention on accrual basis, in accordance with the applicable accounting standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and Generally Accepted Accounting Principles (Indian GAAP), unless otherwise stated.

2. प्राक्कलनों का प्रयोग / Use of Estimates

भारत के सामान्यतया मान्य लेखाकरण सिद्धांतों (जी.ए.ए.पी.) के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार किए जाने के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को प्राक्कलन (एस्टीमेट) तथा अनुमान लगाने पड़ते हैं, जिनका असर वित्तीय विवरणों में आस्तियों (असेट्स), देयताओं (लाइबिलिटीज़) जिसके अंतर्गत पूंजीगत प्रतिबद्धता (कैपिटल कमिटमेंट) और आकस्मिक देयताओं (कंटिन्जेन्ट लाइबिलिटीज़) की रकम की जानकारी शामिल है, आय एवं व्यय के अंतर्गत दर्शाई जाने वाली रकमों पर पड़ जाता है । यद्यपि, वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्राक्कलन (एस्टीमेट) तो सही ढंग से लगाए जाते हैं, लेकिन वास्तविक परिणाम इन प्राक्कलनों (एस्टीमेट) से भिन्न हो सकते हैं । वास्तविक परिणामों तथा प्राक्कलनों (एस्टीमेट)के बीच के अंतर को उस अवधि में संबंधित लेखा शीर्ष में आय / व्यय के रूप में दर्शाया जाता है, जिसमें परिणाम ज्ञात / फलीभूत होते हैं ।

The preparation of financial statements in conformity with Indian GAAP requires SEBI to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets, liabilities (including capital commitment and contingent liabilities disclosures), income and expenditure in the financial statements. Though it is believed that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable, actual results could differ from

these estimates. Differences between actual results and the estimates are recognised as income/expenditure in the relevant account head, in the period in which the results are known / materialised.

3. राजस्व अभिज्ञान (निर्धारण) / Revenue Recognition

क) आय और व्यय (जिनकी तर्कसंगत निश्चितता है) का अभिज्ञान (निर्धारण) सामान्यत: उपचय आधार (एक्रुअल बेसिस) पर किया गया है । संबंधित विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के तहत सभी इंटरमीडियरी (मध्यवर्तियों) से प्राप्त फीस आय मानी जाती है, जब तक कि अन्यथा कोई उल्लेख न किया जाए। सभी इंटरमीडियरी से प्राप्त रजिस्ट्रीकरण / नवीकरण (रिनुअल) की फीसों को बहियों में रजिस्ट्रीकरण / नवीकरण (रिनुअल) के पहले वर्ष में ही दिखाया जाता है, फिर इस बात पर गौर नहीं किया जाता कि रजिस्ट्रीकरण / नवीकरण (रिनुअल) कितने समय के लिए मान्य है ।

a) Income and Expenditure having reasonable certainty have been generally recognised on accrual basis. Fees from all intermediaries are recognised as income in the manner prescribed in the respective Regulations, unless otherwise stated. Registration / Renewal fees received from all intermediaries are accounted in the first year of registration/renewal, irrespective of the validity of the registration / renewal period.

ख) प्राथमिक बाजार (प्राइमरी मार्केट) संबंधी प्रस्ताव दस्तावेजों (ऑफर डॉक्यूमेंट) हेतु दाखिल किए जाने संबंधी (फाइलिंग) फीस का लेखा–जोखा प्राप्ति आधार पर आय के रूप में रखा जाता है । इश्यू (निर्गम) के आकार में बदलाव होने की वजह से, दाखिल किए जाने के संबंध में जो फीस (फाइलिंग फीस) अधिक हो उसे वापस लौटाए जाने या अतिरिक्त फाइलिंग फीस एकत्र किए जाने संबंधी लेखा–जोखा दिखाया जाता है, जब कभी वह, यथास्थिति, देय या प्राप्य रूप में निर्धारित किया जाए ।

b) Filing fees for Primary Market Offer Documents are accounted as income on receipt basis. Refund of excess filing fees or collection of additional filing fees arising due to change in the size of the issue is accounted as and when determined as payable or receivable, as the case may be.

ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप–दलाल) विनियम, [1992 सेबी स्टॉक ब्रोकर्स एंड सब–ब्रोकर्स रेग्यूलेशन्स, 1992] (वर्ष 2006 के दौरान यथा संशोधित) की अनुसूची III क, IV और IV क के तहत कैश एंड डेरिवेटिव सेगमेंट के दलालों से मिलने वाली फीस का लेखा–जोखा उपचय आधार (एक्रुअल बेसिस) पर दिखाया जाता है ।

c) Fees from brokers of cash and derivative segments under schedule IIIA, IV and IVA of SEBI (Stock Brokers and Sub-brokers) Regulations, 1992 as amended during 2006 are accounted on accrual basis.

घ) उप–दलालों से मिलने वाली फीस का लेखा–जोखा प्राप्ति आधार पर दिखाया जाता है, क्योंकि मिलने वाली फीस की रकम पहले से तय नहीं होती ।

d) Due to uncertainty about recovery of fees, fees from sub-brokers are accounted on receipt basis.

ङ) सेबी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की एवज में जितनी रकम सेबी को प्राप्त होनी थी, और जिसका बिल इंटरमीडियरी को जारी नहीं किया गया, उसे भी आय मान लिया गया ।

e) Unbilled revenue is recognized in respect of those services for which SEBI has fulfilled its performance obligations, revenue is earned and SEBI has a right to raise invoice to the intermediaries for the amount of revenue recognized.

4. निवेश / Investments

दीर्घावधिक निवेश खरीद की लागत (एक्विज़ीशन कॉस्ट) पर दिखाए जाते हैं (उनका लेखा–जोखा किया जाता है) । यदि खरीद की लागत अंकित मूल्य (फेस वैल्यू) से ज्यादा हो, तो प्रीमियम (जो उतना होता है, जितनी खरीद की लागत अंकित मूल्य से ज्यादा हो) को अमोरटाइज़ परिवक्वता (मैच्यूरिटी) की शेष अवधि के दौरान किया जाता है । प्रीमियम के ऐसे अमोरटाइज़ेशन को निवेश के मूल्य से समायोजित करके दिखाया जाता है, ताकि निवेश का प्रचलित मूल्य (कैरिंग वैल्यू) निकाला जा सके ।

Long term investments are carried (booked/accounted) at acquisition cost. In case the acquisition cost is more than face value, the premium (excess of acquisition cost over the face value) is amortized over the remaining period of maturity. Such amortization of premium is shown as adjusted against the investment value to arrive at the carrying value of the investment.

यदि निवेश डिस्काउंट पर किए जाते हैं (अर्थात खरीद की लागत अंकित मूल्य से कम हो), तो ऐसे डिस्काउंट को आय के रूप में अमोरटाइज़ नहीं किया जाता और निवेशों का लेखा–जोखा खरीद की लागत के रूप में रखा जाता है । परिपक्वता मूल्य (मैच्यूरिटी वैल्यू) और खरीद की लागत के बीच के अंतर का लेखा–जोखा उस संबंधित वित्तीय वर्ष में आय के रूप में किया जाता है जिस वर्ष में ऐसे निवेश बेचे जाते हैं / उनकी परिपक्वता की मीयाद पूरी हो जाती है ।

In case the investments are purchased at discount (i.e. acquisition cost is lower than the face value), such discount is not amortised as income and investments are accounted at acquisition cost. The difference between the maturity value and the acquisition cost will be accounted as income in the relevant financial year in which sale/maturity of such investments take place.

दीर्घावधिक निवेशों की प्रचलित राशि (कैरिंग अमाउंट) में किसी गिरावट (अस्थायी से भिन्न) का अभिज्ञान (निर्धारण) करने के लिए प्रावधान किया जाता है ।

Provision is made to recognize any decline, other than temporary, in the carrying amount of long term investments.

5. अचल आस्तियाँ (फिक्सड असेट्स) और मूल्यह्रास (डेप्रीसिएशन) / Fixed Assets and Depreciation

अचल आस्तियों (फिक्सड असेट्स) को उनकी मूल लागत में से संचित मूल्यह्रास (डेप्रीसिएशन) को घटाकर और ह्रास (इमपेयरमेंट), यदि कोई हो, का प्रावधान करके दिखाया जाता है । लागत में शामिल होते हैं खरीद (एक्विज़ीशन) तथा निर्माण/इन्सटॉलेशन में किए गए व्यय और आस्तियों (असेट्स) को उनके आशयित उपयोग हेतु कार्यशील अवस्था में लाने के उद्देश्य से किए गए अन्य संबंधित व्यय।

Fixed Assets are stated at their original cost less accumulated depreciation and provision for impairment, if any. The cost includes expenditure incurred on the acquisition and construction/installation and other related expenses in bringing the assets to working condition for its intended use.

मूल्यह्रास (डेप्रीसिएशन) सीधी रेखा पद्धति के आधार पर निम्नानुसार दिया गया है :

Depreciation is provided based on Straight Line Method (SLM) as under:

आस्तियाँ (असेट) / Assets	आस्ति (असेट) का वास्तविक उपयोगिता काल – 5% अवशिष्ट मूल्य (रेजीडूअल वैल्यू) के साथ Effective life of the asset with 5% residual value
भवन, कार्यालय परिसर तथा रिहायशी फ्लैट Buildings, Office Premises and Residential Flats.	29 years 29 वर्ष
कंप्यूटर / सहायक उपकरण, कॉपियर, संचार साधन (फैक्स, मॉडेम, टेलीफोन, आदि) तथा विद्युत / इलेक्ट्रोनिक कार्यालय उपकरण Computers / Peripherals, Copiers, Communication devices (Fax, Modems, Telephones, etc.) and Electrical / Electronic Office Instruments.	3 years 3 वर्ष
वाहन, फर्नीचर तथा बिजली की फिटिंग (उदाहरण के लिए पंखे, बत्तियाँ, वातानुकूलक) और सभी सामान आदि जिनका ऊपर जिक्र नहीं किया गया। Vehicles, Furniture and Electrical Fittings (e.g. Fans, Lights, Air conditioners) and all items not covered above.	5 years 5 वर्ष
पट्टे पर लिए गए परिसरों के नवीकरण (रीनोवेशन) पर हुए व्यय Renovation expenses of leasehold premises	5 वर्ष या पट्टे की अवधि (जो भी कम हो) 5 years or lease period, whichever is shorter

बोर्ड द्वारा मंजूर की गई मूल्यह्रास (डेप्रीसिएशन) की नीति के अनुसार, अचल आस्तियों (फिक्सड असेट्स) का अवशिष्ट मूल्य (रेज़ीडूअल वैल्यू) मूल लागत (ऑरिजिनल कॉस्ट) का 5% (जिसे अगले रुपये में पूर्णांकित किया गया है) माना जाता है और तदनुसार अचल आस्तियों (फिक्सड असेट्स) का मूल्यह्रास (डेप्रीसिएशन) मूल लागत (ऑरिजिनल कॉस्ट) के 95% (जिसे अगले रुपये में पूर्णांकित किया गया है) तक होता है ।

As per the depreciation policy approved by the Board, the residual value of the fixed assets is considered as 5% (rounded off to the nearest Rupee) of the original cost and accordingly fixed assets are depreciated up to 95% (rounded off to the nearest Rupee) of the original cost.

उसी आस्ति (असेट) का पूँजीकरण (को कैपिटलाइज़) किया जाता है, जिसकी न्यूनतम लागत 10,000.00 हो । तदनुसार, यदि किसी आस्ति (असेट) की लागत 10,000.00 से कम हो, तो उसे राजस्व व्यय माना जाता है और जिसे उस वर्ष आय–व्यय लेखे में दिखाया जाता है, जिस वर्ष उसे खरीदा गया हो ।

Minimum cost of an item to be considered for capitalization as an asset shall be INR10,000.00 for qualifying to be capitalized. Accordingly, any item costing less than INR 10,000.00 is considered as revenue expenditure and charged to Income and Expenditure Account in the year of purchase.

वर्ष के दौरान मौजूदा आस्ति (असेट) में किसी प्रकार की वृद्धि या विस्तार, जो पूँजीगत स्वरूप का हो और जो मौजूदा आस्ति (असेट) का अभिन्न अंग बन जाता हो, का मूल्यह्रास (डेप्रीसिएशन) उस आस्ति (असेट) के शेष उपयोगिता–काल के अनुसार किया जाता है ।

Any addition or extension to an existing asset during the year, which is of a capital nature and which becomes an integral part of the existing asset is depreciated over the remaining useful life of that asset.

प्रक्रियाधीन पूँजीगत कार्य (कैपिटल वर्क–इन–प्रोग्रेस) के अंतर्गत उन अचल आस्तियों (फिक्सड असेट्स) के अर्जन के लिए अदा की गई बकाया अग्रिम राशि शामिल होती है, जो रिपोर्टिंग की तारीख को उनके आशयित उपयोग के लिए तैयार न हों ।

Capital work-in-progress comprises of outstanding advances paid to acquire fixed assets that are not yet ready for their intended use at the reporting date.

पट्टे वाली भूमि को अमोरटाइज़ इसकी पट्टा अवधि के दौरान किया जाता है ।

Leasehold land is amortised over its lease period.

पुस्तकालय की पुस्तकें राजस्व व्यय के रूप में अभिज्ञात (निर्धारित) होती हैं और जो आय–व्यय लेखे में उस वर्ष दिखाई जाती हैं, जिस वर्ष उन्हें खरीदा गया हो ।

Library books are recognised as revenue expenditure and charged to Income and Expenditure Account in the year of purchase.

वर्ष के दौरान खरीदी / बेची गई सभी आस्तियों (असेट्स) जिनमें हर तरह का टर्नकी प्रोजेक्ट शामिल है को उतने वास्तविक दिनों के मद्देनज़र ही समानुपातिक आधार पर मूल्यह्रासित (डेप्रीशिएट) किया जाता है, जितने दिनों तक आस्ति (असेट) का इस्तेमाल किया गया हो ।

All the assets, including any kind of turnkey projects, purchased / sold / disposed off during the year are depreciated on a pro-rata basis for the actual number of days the asset has been put to use.

6. अमूर्त आस्तियाँ (इनटेंजिबल असेट) / Intangible Assets

सॉफ्टवेयर लिए जाने संबंधी लागतें ''अमूर्त आस्तियों'' (इनटेंजिबल असेट) के रूप में पूँजीकृत (कैपिटलाइज़) की जाती हैं । सॉफ्टवेयर संबंधी लागतों को अमोरटाइज़ तीन वर्षों की अवधि के भीतर सीधी रेखा पद्धति (स्ट्रेट लाइन मेथड) आधार पर किया जाता है ।

Costs relating to acquisition of software are capitalised as “Intangible assets”. Software costs are amortised over a period of three years based on straight line method.

i. यदि सॉफ्टवेयर बाजार से एक ही बार पूरा भुगतान करके खरीदा जाता है, तो खरीद की लागत के साथ–साथ उन आस्तियों (असेट्स) को जिस उद्देश्य से खरीदा गया है उस उद्देश्य से उन्हें कार्यशील अवस्था में लाने हेतु किए गए अन्य व्यय को पूँजीकरण (कैपिटलाइज़ेशन) की लागत माना जाता है। खरीद की तारीख वह तारीख होगी जब से उसे अमोरटाइज़ किया जाएगा; या,

i. If the software is purchased outright from the market, the cost of purchase and any cost directly attributable to bring the assets in working conditions for the intended use is considered as the cost for capitalisation. The date of purchase is the date from which it needs to be amortized. or,

ii. यदि किसी सॉफ्टवेयर को चरणबद्ध तरीके से बनाया (विकसित किया) जाता है, तो हर चरण में उसे कार्यशील अवस्था में लाने हेतु आने वाली लागत को पूँजीकरण (कैपिटलाइज़ेशन) की लागत माना जाता है, बशर्ते कि उस चरण तक सॉफ्टवेयर जिस उद्देश्य से बनवाया गया हो उसका इस्तेमाल उस उद्देश्य से किया जा सकता हो फिर भले ही बाकी के चरण पूरे हुए हों या न हुए हों । जिस विभाग पर उस सॉफ्टवेयर को बनवाने (विकसित करवाने) और उसे क्रियान्वित करवाने की जिम्मेदारी हो, उस विभाग की ओर से सभी उपयोगकर्ताओं (यूज़र) की सहमति लेने के पश्चात उपरोक्त चरण के संबंध में उसे चालू करवाने (गो लाइव) हेतु जारी किए गए प्रमाणपत्र की तारीख वह तारीख होगी जब से उसे का अमोरटाइज़ किया जाएगा । इसलिए, ऐसे मामलों में पूँजीकरण (कैपिटलाइज़ेशन) और अमोरटाइज़ेशन हर चरण में सॉफ्टवेयर को चालू करवाए जाने (गो लाइव) की तारीख से किया जाता है, बशर्ते कि उस चरण तक सॉफ्टवेयर जिस उद्देश्य से बनवाया गया हो उसका इस्तेमाल उस उद्देश्य से किया जा सकता हो फिर भले ही बाकी के चरण पूरे हुए हों या न हुए हों ।

ii. If the software is developed in a phased manner, the cost attributable to respective phase for bringing it in usable condition is considered as the cost for capitalisation, provided the software can be operated for its intended use independently of the remaining phases. The date of certificate of “Go Live” from the department, which owns the responsibility of ensuring development and implementation of software, with respect to the said phase after user acceptances is the date from which it will be amortized. Hence, capitalization and amortization in such cases is carried out phase-wise in line with the “Go-Live” date for the respective phase subject to the condition of being operated for its intended use independently of the remaining phases.

iii. यदि वित्तीय वर्ष के अंत तक की स्थिति के अनुसार सॉफ्टवेयर का कोई चरण इस्तेमाल के लिए तैयार न हो या फिर बाकी के चरण पूरे होने के बाद ही उसे इस्तेमाल में लाया जा सकता हो, तो ऐसे में उसे ''प्रक्रियाधीन पूँजीगत कार्य'' (कैपिटल वर्क–इन–प्रोग्रेस) के रूप में दिखाया जाता है ।

iii. Software which is in development phase and not ready for the intended use or cannot be operated independently of the remaining phases at the end of the financial year is disclosed as ‘Capital Work-in-progress’.

7. आस्तियों (असेट्स) का ह्रास (इमपेयरमेंट) / Impairment of Assets

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत तक की स्थिति के अनुसार, ह्रास (इमपेयरमेंट) के संबंध में आस्तियों (असेट्स) की समीक्षा की जाती है, यदि ह्रास (इमपेयरमेंट) के संबंध में ऐसा कोई संकेत हो कि आस्ति (असेट) की प्रचलित राशि (कैरिंग अमाउंट) उससे वसूल हो सकने वाली राशि से अधिक हो जाएगी । रखी जाने वाली और इस्तेमाल की जाने वाली आस्तियों (असेट्स) से कितना राशि वसूल हो सकती है, इस संभावना को, आस्ति (असेट) की प्रचलित राशि (कैरिंग अमाउंट) और ‘मितिकाटे पर भावी शुद्ध नकदी (रोकड़) प्रवाहों’ (फ्यूचर नेट डिस्काउंटेड कैश फ्लो) जो आस्ति (असेट) से उत्पन्न हो सकते हों की तुलना करके आँका जाता है । यदि ऐसी आस्तियों (असेट्स) के संबंध में ह्रास (इमपेयरमेंट) की संभावना प्रतीत होती है, तो ह्रास (इमपेयरमेंट) की गणना आस्ति (असेट) की प्रचलित राशि में से आस्ति के उचित मूल्य (फेयर वैल्यू) को घटाकर की जाती है ।

At the end of each financial year, the assets are reviewed for impairment if there is indication that the carrying amount of an asset exceeds recoverable amount. Recoverability of assets to be held and used is measured by comparing the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognised is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the fair value of the asset.

ह्रास (इमपेयरमेंट) की गणना करने के बाद, मूल्यह्रास (डेप्रीसिएशन) संशोधित प्रचलित राशि (कैरिंग अमाउंट) के आधार पर निकाला जाता है, और आस्ति (असेट) के शेष उपयोगिता–काल में अमोरटाइज़ेशन किया जाता है ।

After impairment is recognised, the depreciation is charged on the revised carrying amount of the asset for amortising over its remaining useful life.

8. लेखन–सामग्री और स्टांप का स्टॉक / Stock of Stationeries and Stamps

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत तक की स्थिति के अनुसार, इस्तेमाल में न लाई गई लेखन–सामग्री का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है और इस्तेमाल में न लाए गए स्टांपों के मूल्य को पूर्वदत्त (प्रीपेड) व्यय में शामिल किया जाता है ।

At the end of each financial year, unutilized stationeries are valued at cost and value of unutilized stamps is included in the prepaid expenses.

9. नकदी और नकदी–समतुल्य / Cash and Cash Equivalents

प्राप्ति और भुगतान खाते में नकदी और नकदी–समतुल्य के अंतर्गत बैंक में जमा नकदी, नकदी शेष और तीन महीनों या उससे कम की मूल परिपक्वता (मैच्यूरिटी) अवधि वाले अल्पकालिक निवेश शामिल हैं ।

Cash and cash equivalents in the Receipt and Payment Account comprises of cash at bank, cash on hand and short term investments with an original maturity of three months or less.

10. कर्मचारी प्रसुविधाएँ (बेनिफिट्स)/ Employee Benefits

क) भविष्य निधि :

भविष्य निधि में बोर्ड के अंशदान और ब्याज की किसी कमी को इस प्रयोजनार्थ स्थापित किए गए ट्रस्ट को प्रेषित कर दिया जाता है और जिसे आय–व्यय लेखे में दिखाया जाता है । लेखा मानक 15, कर्मचारी प्रसुविधाएँ (संशोधित 2005) को अमल में लाए जाने के संबंध में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के लेखा मानक बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देश (गाइडेंस) के अनुसार ऐसी प्रसुविधाओं को निश्चित प्रसुविधा योजनाएँ माना जाएगा जिनमें नियोक्ता द्वारा बनाई गई भविष्य निधियाँ शामिल हैं, जिनके संबंध में ब्याज संबंधी कमियों को पूरा किया जाना अपेक्षित है । भविष्य निधि के प्रति बोर्ड की देनदारी का प्रावधान वार्षिक आधार पर स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है । बीमांकिक लाभ/हानि को वार्षिक आधार पर आय–व्यय लेखे में दिखाया जाता है ।

a) Provident Fund:

The Board's contribution to the Provident Fund and any shortfall in the interest is remitted to the Trust established for this purpose and charged to Income and Expenditure Account. As per the Guidance on Implementation of AS 15, Employee Benefits (revised 2005) issued by Accounting Standards Board of ICAI, benefits involving employer established provident funds, which require interest shortfalls to be recompensed, are to be considered as Defined Benefit Plans. The Board's liability towards provident fund is provided for based on actuarial valuation carried out by an independent actuary on an annual basis. Actuarial gain / loss is charged to the Income and Expenditure account on an annual basis.

ख) उपदान (ग्रेट्यूटि) तथा प्रतिकारित छुट्टी नकदीकरण (छुट्टियाँ भुनाना) [कम्पेनसेटेड लीव एन्कैशमेंट] :

उपदान (ग्रेट्यूटि) तथा प्रतिकारित छुट्टी नकदीकरण (छुट्टियाँ भुनाने) [कम्पेनसेटेड लीव एन्कैशमेंट] हेतु बोर्ड के दायित्व, जो निश्चित प्रसुविधा योजनाएँ (डीफाइन्ड बैनिफिट प्लान) होती हैं, का प्रावधान वार्षिक आधार पर स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है । बीमांकिक लाभ / हानि को वार्षिक आधार पर आय–व्यय लेखे में दिखाया जाता है ।

b) Gratuity and Compensated Leave Encashment:

The Board's liability towards gratuity and compensated leave encashment, being defined benefit plans, are provided for based on actuarial valuation carried out by an independent actuary on an annual basis. Actuarial gains / losses are charged to Income and Expenditure Account on an annual basis.

ग) अन्य मीयादी कर्मचारी प्रसुविधाएँ (टर्म एम्प्लॉई बेनिफिट्स):

अन्य मीयादी कर्मचारी प्रसुविधाओं का अभिज्ञान (को रिकोग्नाइज़) प्रत्याशित बाध्यता के आधार पर बोर्ड की स्कीम के अनुसार व्यय के रूप में किया जाता है, और जो डिस्काउंटेड आधार पर नहीं होता ।

c) Other Term Employee Benefits:

Other Term Employee Benefits are recognized as an expense as per the Board's scheme based on expected obligation, which is not on discounted basis.

11. विदेशी मुद्रा में हुए लेनदेन / Foreign Currency Transactions

वर्ष के दौरान विदेशी मुद्राओं में हुए लेनदेन, लेनदेनों की तारीख के विनिमय दर पर दर्ज किए जाते हैं । विदेशी मुद्रा, मौद्रिक मदों को, तुलन–पत्र की तारीख तक की स्थिति के अनुसार अंतिम विनिमय दर पर रुपये में सममूल्य राशि के रूप में पुन: दिखाया जाता है । गैर–मौद्रिक मदों को विदेशी मुद्रा में अंकित परंपरागत लागत (हिस्टॉरिकलल कॉस्ट) पर लाया जाता है और उनकी रिपोर्ट

लेनदेन की तारीख के विनिमय दर का प्रयोग करते हुए दी जाती है । मौद्रिक मदों के निपटान (सेटलमेंट) / को पुनः व्यक्त किए जाने की वजह से आने वाले विनिमय–अंतर का अभिज्ञान (को रिकोग्नाइज़) आय के रूप में या व्यय के रूप में उस वर्ष में किया जाता है, जिसमें वे हुए हों ।

Transactions arising in foreign currencies during the year are recorded at the exchange rate prevailing on the date of the transactions. Foreign currency, monetary items are restated into rupee equivalent at the closing exchange rate prevailing as on Balance Sheet date. Non-monetary items are carried at historical cost denominated in a foreign currency and are reported using the exchange rate prevailing on the date of transaction. Exchange differences arising on settlement / restatement of monetary items are recognised as income or as expenses in the year in which they arise.

12. पट्टे / Operating Leases

पट्टा संबंधी भुगतानों का अभिज्ञान (को रिकोग्नाइज़) पट्टा–अवधि में आय–व्यय लेखे में व्यय के रूप में किया जाता है । पट्टा संबंधी आय का अभिज्ञान (को रिकोग्नाइज़) पट्टा–अवधि में आय–व्यय लेखे में आय के रूप में किया जाता है ।

Lease payments under operating leases are recognized as an expense on a lease term basis in the Statement of Income and Expenditure Account. Lease income under operating leases are recognized as an income on a lease term basis in the Statement of Income and Expenditure Account.

13. प्रावधान तथा आकस्मिक देयताएँ (कंटिन्जेन्ट लाइबिलिटीज़) / Provisions and Contingent Liabilities

क) प्रावधान : बोर्ड प्रावधान को तब अभिज्ञात (निर्धारित) करता है, जब किसी पिछली घटना की वजह से कोई वर्तमान बाध्यता हो । ऐसी संभावना है कि उस बाध्यता (ऑब्लीगेशन) के निपटान के लिए खर्चा करना होगा, जिसके संबंध में सही–सही अनुमान लगाया जा सकता है । प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख को प्रावधानों की समीक्षा की जाती है और उन्हें समायोजित (एडजस्ट) किया जाता है, ताकि प्राक्कलन (एस्टीमेट) की सही–सही तस्वीर पेश हो सके ।

a) Provisions: The Board recognises a provision when there is a present obligation as a result of a past event. There is a probability that an outflow of resources will be required to settle the obligation in respect of which reliable estimate can be made. Provisions are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current best estimates.

ख) आकस्मिक देयताएँ (कंटिन्जेन्ट लाइबिलिटीज) : आकस्मिक देयता को तब दिखाया जाता है, जब ऐसी कोई बाध्यता होने की संभावना हो या ऐसी कोई वर्तमान बाध्यता हो जिसके लिए खर्चा करने की जरूरत पड़ सकती है, किंतु मुमकिन है कि ऐसा न भी हो ।

b) Contingent Liabilities: A disclosure for a contingent liability is made when there is a possible obligation or a present obligation that may, but probably will not, require an outflow of resources.

आगे चलकर होने वाली ऐसी बाध्यता या वर्तमान बाध्यता के मामले में कोई प्रावधान या प्रकटीकरण (डिस्कलोज़र) नहीं किया जाता, जहाँ पैसा खर्चा करने की संभावना दूर–दूर तक न हो । आकस्मिक आस्तियाँ (कंटिन्जेन्ट असेट्स) न तो अभिज्ञात (रिकोग्नाइज़) की जाती हैं, और न ही प्रकट (डिस्कलोज़) की जाती हैं ।

In case of a possible obligation or a present obligation where the likelihood of outflow of resources is remote, no provision or disclosure is made. Contingent assets are neither recognized nor disclosed.

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

अनुसूची – 19: आकस्मिक देयताएँ (कंटिन्जेन्ट लाइबिलिटीज़) तथा लेखों संबंधी टिप्पणियाँ

Schedule - 19: CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES TO ACCOUNTS

1. **आकस्मिक देयताएँ (कंटिन्जेन्ट लाइबिलिटीज़):** आकस्मिक देयताओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

   क. **कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड के मामले में:** माननीय प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने अपने तारीख 20 दिसम्बर, 2023 के आदेशों में सेबी, एन.एस.ई. और एन.एस.डी.एल. को यह निदेश दिया था कि वे अपीलार्थियों (यानि कि इंडसइंड बैंक लि., एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड, ऐक्सिस बैंक लिमिटेड, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड और बजाज फाइनेंस लिमिटेड) के पास गिरवी रखी हुई प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) पर लगाई गई रोक, माननीय प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) के आदेशों की तारीख से चार सप्ताह के भीतर, हटा दें । सेबी, एन.एस.ई. और एन.एस.डी.एल. को यह निदेश भी दिया गया था कि यदि वे रोक नहीं हटाते हैं, तो उन्हें मुआवजे के तौर पर अपीलार्थियों को अंडरलाइंग प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के मूल्य के बराबर की रकम 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज की रकम के साथ अदा करनी होगी । 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार, उपरोक्त अपीलार्थियों को लगभग 4,291 करोड़ की रकम की कुल देनदारी बनती है यानि कि 21 दिसम्बर, 2023 तक की स्थिति के अनुसार, एन.एस.ई. द्वारा निकाला गया प्रतिभूतियों का मूल्य जो 3,832 करोड़ है और लगभग 459 करोड़ की ब्याज की रकम – यह रकम साधारण ब्याज की रकम है, जो आदेशानुसार 19 जनवरी, 2024 (आदेश जारी होने की तारीख से 4 सप्ताह बाद की तारीख) से लेकर 31 मार्च, 2025 तक 10% प्रति वर्ष की दर से निकाली गई है

   माननीय प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) के उपरोक्त आदेशों को सेबी, एन.एस.ई. और एन.एस.डी.एल. द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई । माननीय उच्चतम न्यायालय ने 20 जनवरी, 2024 को अपील स्वीकार कर ली और इस मामले पर रोक भी लगा दी । यह अपील माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है ।

   ख. **वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान स्रोत पर काटा गया कर:** वित्तीय वर्ष 2011–12 के संबंध में काटे गए और भेजे गए कर के संबंध में आयकर प्राधिकारियों की ओर से कुल 0.29 करोड़ की रकम के कर की माँग है ।

   यह माँग इसलिए की गई है, क्योंकि मार्च 2012 के महीने हेतु दिए जाने वाले वेतन पर टीडीएस जमा करने की आयकर प्राधिकारियों द्वारा जो तारीख निर्धारित की गई थी, वह सही नहीं थी । आयकर प्राधिकारियों द्वारा मार्च 2022 के महीने हेतु दिए जाने वाले वेतन पर टीडीएस जमा करने की तारीख 30 अप्रैल, 2012 के बजाय 7 अप्रैल, 2012 निर्धारित की गई थी ।

   इस संबंध में, सेबी ने आयकर प्राधिकारियों के पास सुधार करने के संबंध में 17 मई, 2022 और 22 नवम्बर, 2022 को अपना आवेदन प्रस्तुत किया और इस संबंध में आयकर प्राधिकारियों के स्तर पर सुधार आदि किए जाने हैं । आयकर प्राधिकारियों के साथ हुई फरवरी 2023 में बैठक के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा की गई और इस संबंध में जरूरी कार्रवाइयाँ कर ली गई हैं, और जिसकी जानकारी 31 अगस्त, 2023 को आयकर प्राधिकारी को दे दी गई है, ताकि वे माँग वापस ले सकें । सेबी को इसी मामले में 8 जून, 2024 को एक और नोटिस प्राप्त हुआ । इस मामले के संबंध में विभाग से अनुरोध किया गया है । आज की तारीख तक, सेबी को इस मामले के संबंध में कोई और सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

   ग. **सेवा कर :** सेबी के खिलाफ न्यायनिर्णयन कार्यवाहियाँ (अजूडिकेशन प्रोसीडिंग्स) इस बात के मद्देनज़र शुरू की गई थीं कि सेबी द्वारा ली जाने वाली फीस पर सेवा कर लगना चाहिए, और इसी वजह से सेबी को वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2015–16 के लिए सेवा कर का भुगतान करना चाहिए । 75.23 करोड़ की रकम के संबंध में मार्च 2016 में कारण बताओ सूचना–1 (जुलाई 2012 से मार्च 2015 तक की अवधि हेतु) जारी की गई थी और 55.08 करोड़ की रकम के संबंध में फरवरी 2018 में कारण बताओ सूचना–2 (अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक की अवधि हेतु) जारी की गई थी । कारण बताओ सूचनाओं की पुष्टि करते हुए मई 2018 में आदेश पारित किया गया था, और साथ ही ब्याज भी अदा करने को कहा गया तथा पेनल्टी (शास्ति) भी लगा दी गई थी । इस आदेश के अनुसार पेनल्टी की रकम 80.73 करोड़ है ।

   सेबी ने सीजीएसटी, मुंबई के प्रधान आयुक्त (प्रिंसिपल कमिश्नर) के उपरोक्त आदेश के खिलाफ सी.ई.एस.टी.ए.टी. के समक्ष सर्विस

टैक्स अपील दाखिल की है । कारण बताओ सूचना–1 के संबंध में, सी.ई.एस.टी.ए.टी. ने सेवा कर की उतनी रकम की माँग को ख़ारिज कर दिया था, जितनी रकम की माँग निर्धारित समयावधि के भीतर नहीं की गई थी । साथ ही, पेनल्टी की माँग भी खारिज कर दी गई । चूंकि कारण बताओ सूचना–2 जारी होने के बाद सुनवाई का उचित अवसर प्रदान नहीं किया गया था, इसलिए कारण बताओ सूचना–2 के संबंध में सी.ई.एस.टी.ए.टी. ने उपरोक्त मांग को खारिज कर दिया और मामले को वापस भिजवा दिया, ताकि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी (अजूडिकेटिंग अथॉरिटी) इस मामले के संबंध में नए सिरे से फैसला करें ।

सी.ई.एस.टी.ए.टी. के उपरोक्त आदेश के खिलाफ, सीजीएसटी के प्रधान आयुक्त (प्रिंसिपल कमिश्नर) ने मार्च 2021 में माननीय बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दाखिल की । माननीय उच्च न्यायालय ने, अपने तारीख 13 मार्च, 2023 के आदेश के माध्यम से, सीजीएसटी के प्रधान आयुक्त (प्रिंसिपल कमिश्नर) की उपरोक्त अपील ख़ारिज कर दी ।

सेबी ने भी सी.ई.एस.टी.ए.टी. के उपरोक्त आदेश के खिलाफ 29 सितम्बर, 2021 को माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील दाखिल की, जिसमें कानूनी प्रावधानों से जुड़ा यह अहम सवाल उठाया गया और यह दलील भी दी गई कि (i) चूंकि सेबी के कार्य सरकारी कार्य ही हैं, इसलिए उनके लिए ली गई फीस पर सेवा कर नहीं लगना चाहिए, जिस पर सी.ई.एस.टी.ए.टी ने कोई गौर नहीं किया; (ii) सी.ई.एस.टी.ए.टी. ने कारण बताओ सूचना खारिज करते समय कर की उतनी रकम की माँग को ख़ारिज कर दिया था, जितनी रकम की माँग निर्धारित समयावधि के भीतर नहीं की गई थी । इसलिए, यह मुमकिन है कि सी.ई.एस.टी.ए.टी. के आदेश का अर्थ यह भी निकाला जा सकता है कि यदि कर की माँग निर्धारित समयावधि के भीतर कर भी ली जाए, तो ऐसे में भी सेबी को उसका भुगतान करना पड़ सकता है ।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने 9 सितम्बर, 2022 को इस मामले में सुनवाई की और मुकदमा दर्ज कर लिया । माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष सभी पक्ष आदि रखे जा चुके हैं और तारीख 10 अप्रैल, 2024 के आदेश के अनुसार इस मामले में अगली सुनवाई 23 अगस्त, 2024 को रखी गई । माननीय उच्चतम न्यायालय ने 23 अगस्त, 2024 को यह उल्लेख किया कि आज सुनवाई स्थगित की जा सकती है, क्योंकि इस मामले में राजीनामे तक पहुँचने की आवश्यकता है । माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष सुनवाई की अगली तारीख 16 जुलाई, 2025 को होनी है ।

घ. **मजदूरी की अदायगी :** ठेकेदार द्वारा तैनात स्टाफ को मजदूरी की अदायगी से संबंधित कानूनी मामलों से जुड़े विवादास्पद दावों को ऋण नहीं माना गया है, और जो माननीय न्यायालयों के अंतिम आदेशों के अध्यधीन हैं। इस संबंध में, न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में कुल 0.02 करोड़ की रकम न्यायालयों के पास जमा रखी गई है और जिसे ''अन्य जमाएँ'' के अंतर्गत दर्शाया गया है (पिछले वर्ष : 0.02 करोड़) । यह याचिका अभी भी विचाराधीन है ।

ङ. **नगरपालिका करों की क्षतिपूर्ति :** अर्नेस्ट बिजनेस सर्विस प्रा. लि. (ई.बी.एस.पी.एल.) (जो सेबी के मुंबई के अर्नेस्ट हाउस की 15वीं मंजिल पर स्थित कार्यालय परिसर का लाइसेंसर है) के साथ किए गए तारीख 5 मई, 2010 के समझौता करार (सेटलमेंट एग्रीमेंट) के अनुसरण में, सेबी ने अतिरिक्त नगरपालिका करों के भुगतान हेतु 0.31 करोड़ की अधिकतम देनदारी के संबंध में इंडेमनिटी बॉण्ड (क्षतिपूर्ति बंधपत्र) ई.बी.एस.पी.एल. को दिया है (पिछले वर्ष: 0.31 करोड़) ।

च. **एमएमआरडीए / महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल (एम.पी.सी.बी.) को दी गई बैंक गारंटी**: सेबी भवन खख में आंतरिक साज–सज्जा संबंधी कार्य करने के दौरान मलबे / कचरे को सही ढंग से निकलवाने (वेस्ट मैनेजमेंट) से संबंधित कानूनी प्रावधानों आदि का पालन करने के लिए 19 जनवरी, 2024 को एमएमआरडीए को 0.05 करोड़ की बैंक गारंटी दी गई है । उपरोक्त बैंक गारंटी बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई और जिसके लिए बैंक में उतनी ही रकम की मीयादी जमा (फिक्स्ड डिपॉजिट) रखी गई है ।

एनआईएसएम और सेबी भवन–II में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के संबंध में अनुमति प्राप्त करने के सिलसिले में 21 फरवरी, 2023 को 0.10 करोड़ (प्रत्येक) की दो बैंक गारंटियाँ और 2 अप्रैल, 2024 को 0.25 करोड़ की एक बैंक गारंटी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल को दी गई थीं । उपरोक्त बैंक गारंटियाँ बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गईं और जिसके लिए बैंक में उतनी ही रकम की मीयादी जमाएँ (फिक्स्ड डिपॉजिट) रखी गई हैं ।

1. **Contingent Liabilities:** The details of Contingent Liabilities are as under:

   a. **In the matter of Karvy Stock Broking Ltd.:** The Hon'ble Securities Appellate Tribunal (SAT), vide its Orders dated December 20, 2023, directed SEBI, NSE and NSDL to restore the pledges which were made in favour of the Appellants (viz., IndusInd Bank Ltd., HDFC Bank Ltd., Axis Bank Ltd., ICICI Bank Ltd., and Bajaj Finance

Ltd.) within four weeks from the date of the SAT orders. In the alternative, SEBI, NSE and NSDL were directed to compensate the appellants with the value of the underlined securities pledged in their favour within the same period along with interest @ 10% p.a. As on March 31, 2025, total liability towards the aforesaid Appellants amounts to approximately ₹4,291 crore, i.e., value of securities ₹3,832 crore as calculated by NSE as on December 21, 2023 and interest of approximately ₹459 crore i.e., simple interest calculated @ 10% in terms of the orders, starting from January 19, 2024 (after 4 weeks from the date of the orders) till March 31, 2025.

The aforesaid orders of Hon'ble SAT were challenged by SEBI, NSE and NSDL before the Hon'ble Supreme Court, which admitted the appeal on January 20, 2024 and also granted stay in the matter. The appeal is pending before the Hon'ble Supreme Court.

b. **Tax Deducted at Source during the Financial Year 2011-12:** There is an aggregate tax demand of ₹0.29 crore from Income Tax Authorities in respect of tax deducted and remitted with respect to the period FY 2011-12.

The aforesaid demand had arisen on account of application of incorrect due date for deposit of TDS on salary for the month of March 2012 by the Income Tax authorities. The due date for deposit of TDS on salary for the month of March 2012 was taken by the Income Tax Authorities as April 07, 2012 instead of April 30, 2012.

In respect of the same, SEBI had filed its representation on May 17, 2022 and November 22, 2022 for rectification to the Income Tax Authorities. The matter was discussed during the meeting with the Tax Authorities in the month of February 2023 and necessary actions have been taken, and the same is conveyed to Income tax Authority on 31st August 2023 for dropping of the demand. SEBI received another notice dated June 08, 2024 in the same matter. The matter is again being followed up with the department. As on date, the company has not received any further communication in regards to the same.

c. **Service Tax:** The adjudication proceedings were initiated against SEBI alleging that collection of fees by SEBI is subject to Service Tax and thereby SEBI is liable to pay Service Tax for the F.Y. 2012-2013 to 2015-2016. Show Cause Notice 1 (SCN 1) was issued in March 2016 (for the period July 2012 to March 2015) for an amount of ₹75.23 crore and Show Cause Notice 2 (SCN 2) was issued in February, 2018 (for the period April 2015 to March 2016) for an amount of ₹55.08 crore. Order confirming the Show Cause Notices along with interest and penalties was passed in May 2018. Penalty levied in the order amounted to ₹80.73 crore.

SEBI has filed Service Tax Appeal before the CESTAT against aforesaid Order of Principal Commissioner of CGST, Mumbai. In respect of SCN 1, CESTAT had quashed the demand of Service Tax to the extent of the same being barred by limitation. The demand for penalty is also set aside. In respect of SCN 2, CESTAT has set aside the demand and remanded the matter to enable the adjudicating authority to decide the same afresh as opportunity of hearing was not granted after issue of SCN 2.

Against the said CESTAT order, the Principal Commissioner of CGST had filed an appeal in Hon'ble Bombay High Court in March 2021. The Hon'ble High Court, vide its order dated March 13, 2023, has dismissed the said appeal of the Principal Commissioner of CGST.

SEBI also has filed an appeal against the said CESTAT order in Hon'ble Supreme Court on September 29, 2021, raising substantial question of law contenting inter alia i) its functions are sovereign in nature and therefore the fees collected while performing such functions is not subject to service tax was not decided by CESTAT; ii) CESTAT had set aside SCN only to the extent of the tax demand barred by limitation. Therefore, it was possible to interpret CESTAT Order to mean that SEBI is liable to pay the tax for the period which is not barred by limitation.

The matter was heard by Hon'ble Supreme Court on September 9, 2022 and the same has been admitted. The pleadings before Hon'ble Supreme Court are complete and vide order dated April 10, 2024, the matter was posted for hearing on August 23, 2024. The Hon'ble Supreme Court on August 23, 2024 stated that hearing may be adjourned today as an amicable solution is required to be reached in the case The next date of hearing before the Hon'ble Supreme Court is posted on July 16, 2025.

d. **Payment of Wages:** Disputed Claims representing legal cases, regarding payment of wages to staff

placed by the contractor are not acknowledged as debts and is subject to the final orders of the Hon'ble Courts. In this regard, deposits aggregating ₹0.02 crore were placed with Courts, pursuant to Court orders and shown under "Other Deposits" (Previous year: ₹0.02 crore). The petition is still pending.

e. **Indemnity for Municipal taxes:** Pursuant to Settlement Agreement dated May 5, 2010, with Earnest Business Service Pvt Ltd (EBSPL), Licensor for the office premises at 15th floor Earnest House, Mumbai, SEBI has provided an Indemnity Bond with a maximum liability of ₹0.31 crore towards payment of additional municipal taxes to EBSPL (Previous year: ₹0.31 crore).

f. **Bank Guarantee Issued to MMRDA/Maharashtra Pollution Control Board (MPCB):** Bank Guarantees (BG) dated January 19, 2024 of ₹0.05 crore has been issued to MMRDA as part of statutory compliance with regard to waste/ debris management for carrying out furnishing work at SEBI Bhavan II. The said BG has been issued by Bank of India against Fixed Deposit of equal amount with the bank.

Two Bank Guarantees (BGs) dated February 21, 2023 of ₹0.10 crore each and One Bank Guarantee (BG) dated April 02, 2024 of ₹0.25 crore have been issued to Maharashtra Pollution Control Board as part of statutory compliance with regard to obtaining 'Consent to operate' sewage treatment plant at NISM and SEBI Bhavan-II. The said BGs have been issued by Bank of India against Fixed Deposit of equal amount with the bank.

2. **पूँजीगत प्रतिबद्धता (कैपिटल कमिटमेंट) :** पूँजीगत लेखे (कैपिटल एकाउंट) में कॉण्ट्रैक्ट (जो अभी पूरे नहीं हुए) की अनुमानित रकम (अग्रिमों को घटाकर) 4.51 करोड़ है (जिसके लिए प्रावधान भी नहीं किया गया) (पिछले वर्ष यह रकम 86.73 करोड़ की थी) ।

2. **Capital Commitment:** Estimated amount of Contracts remaining to be executed on Capital Account (net of advances and not provided for is ₹4.51 crore (Previous year ₹ 86.73crore).

3. **करों के लिए प्रावधान :** भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 25 के तहत, आय पर कर से छूट होने के मद्देनज़र, हमेशा की तरह, लेखों में आय–कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।

3. **Provision for taxes:** In view of the exemption from tax on income under section 25 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, as per past practice, no provision for Income Tax is made in the accounts.

4. **सेबी की एकीकृत पेंशन योजना (यूनिफाइड पेंशन स्कीम):** सेबी के बोर्ड ने 18 दिसम्बर, 2024 को हुई अपनी बैठक में सेबी के कर्मचारियों के लिए लाई जाने वाली सेबी की एकीकृत पेंशन योजना (सेबी यूपीएस) को सैद्धाँतिक रूप से अपनी मंजूरी दे दी । हालांकि, बोर्ड ने यह निदेश दिया कि केन्द्रीय सरकार द्वारा यूपीएस के बारे में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए जाने के बाद, सेबी अपना विस्तृत प्रस्ताव तैयार करे और बोर्ड के समक्ष मंजूरी के लिए प्रस्तुत करे ।

4. **SEBI Unified Pension Scheme:** SEBI Board in its meeting held on December 18, 2024 gave its 'in principle' approval to the proposed SEBI Unified Pension Scheme (SEBI UPS) for its employees. The Board however advised that pursuant to issuance of detailed guidelines on UPS by the Central Government, SEBI shall formulate its detailed proposal and place the same before the Board for approval.

जहाँ तक सेबी के यूपीएस के लिए कॉर्पस तैयार करने की बात है, तो इस संबंध में बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा 31 मार्च, 2025 से पहले विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर दिए जाते हैं, तो वर्तमान वित्तीय वर्ष (यानि कि वर्ष 2024–25) में सेबी के बही–खातों (लेखा–बहियों) में इस संबंध में प्रावधान किया जा सकता है । केन्द्रीय सरकार द्वारा विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए जाने के बाद ही यह पूरी तरह से अनुमान लगाया जा सकता है कि सेबी के कॉर्पस के लिए कितनी रकम का प्रावधान किया जाना है ।

With regard to creation of corpus for SEBI UPS it was decided by the Board that if the detailed guidelines are announced by the Central Government before March 31, 2025, token provisioning may be made in the SEBI books of accounts in the current financial year i.e., 2024-25. A detailed estimate towards provision for SEBI corpus may be carried out, post announcement of the detailed guidelines by the Central Government.

इस संबंध में, लेखापरीक्षा समिति (ऑडिट कमेटी) ने 27 मार्च, 2025 को हुई अपनी बैठक में, आंतरिक लेखापरीक्षकों (ऑडिटर) से परामर्श करने के बाद, यह निदेश दिया कि वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु सेबी के यूपीएस के लिए कॉर्पस तैयार करने हेतु रकम का प्रावधान करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि यह स्कीम तो वित्तीय वर्ष 2024–25 में चालू ही नहीं थी ।

In this regard, the Audit Committee in its meeting held on March 27, 2025, after consulting with the internal auditors, advised that provisioning for creation of the Corpus for SEBI UPS may not be applicable for the financial year 2024-25 as the scheme has not been operationalized in the financial year 2024-25.

हालांकि, इस क्षेत्र के संबंधित विशेषज्ञों से यह राय ली जाएगी कि रकम का प्रावधान करने से वित्तीय विवरणों पर कितना असर पड़ सकता है, और इसे उस अवधि के वित्तीय विवरणों में दिखाया जाएगा, जब यह स्कीम चालू हो जाएगी ।

However, an evaluation of the Impact on the financials will be carried out in consultation with appropriate experts in the field, and record the same in the financial statements in the period in which the scheme becomes operational.

5. **दलालों संबंधी फीस का लेखा–जोखा :** अनुसूची III के तहत नकदी खंड (कैश सेगमेंट) के दलालों से तथा संशोधन से पहले अनुसूची IV के तहत डेरिवेटिव सेगमेंट के दलालों से मिलने वाली फीस का लेखा–जोखा निम्नलिखित कारणों के मद्देनज़र प्राप्ति आधार पर रखा गया है :

5. **Accounting of broker fee:** Fees from brokers of cash segment under schedule III and brokers of derivative segment under schedule IV prior to amendment are accounted on receipt basis in view of the reasons mentioned below:

   एक्सचेंजों के कैश सेगमेंट के दलालों द्वारा दी जाने वाली फीस को लेकर कई दलालों ने सेबी की फीस लगाने की क्षमता, फीस के आधार, टर्नओवर की परिभाषा, गणना करने की पद्धति के संबंध में विभिन्न न्यायालयों के समक्ष विरोध जताया है । उच्चतम न्यायालय के फरवरी 2001 के निर्णय (जिसके अंतर्गत सेबी की फीस लगाने की शक्तियों को मान्य ठहराया गया और फीस लगाने के आधार की पुष्टि की गई) के बावजूद, अब भी लगाई गई फीस के विभिन्न पहलुओं से संबंधित कुछ मामले प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) और उच्च न्यायालयों के समक्ष चल रहे हैं । चूँकि आईसीएआई के लेखा–मानक 9 के पैरा 9 (यानि कि – ''राजस्व अभिज्ञान पर अनिश्चितताओं का प्रभाव'') के अनुसार, उससे होने वाली आय निश्चित नहीं है, इसीलिए आय का अभिज्ञान (निर्धारण) वसूली होने तक स्थगित कर दिया गया है । न्यायालयों में विचाराधीन मामलों में ब्याज सहित फीस की कुल बकाया रकम लगभग 1.25 करोड़ है ।

   Fees payable by brokers of the cash segments of the Exchanges had been contested by a number of brokers on the grounds of SEBI's competence to levy fees, the basis of fees, definition of turnover, computation methodology, before various courts. Despite Supreme Court judgement in February 2001, which upheld SEBI's powers to levy fees and ratified the basis of levy of fees, there are still some cases pending before the Securities Appellate Tribunal (SAT), High Courts relating to different aspects of the fees charged. Since the income therefrom is not certain, in terms of AS 9 of ICAI, as per Para 9 "Effect of uncertainties on Revenue Recognition", the recognition of revenue is postponed till it is realised. The outstanding fees along with interest in the pending legal matters amounts to ₹1.25 crore approximately.

6. **पट्टे पर कार्यालय तथा रिहायशी परिसर :** बोर्ड ने इजाजत और अनुज्ञप्ति (लीव एंड लाइसेंस) इंतजामों के आधार पर पट्टे के तहत रिहायशी तथा कार्यालय परिसर लिए हैं । इन्हें सामान्यत: रद्द किया जा सकता है और जिनकी अवधि 12 महीनों से 60 महीनों के बीच की है और जिनकी अवधि आपसी सहमति से तय की गई शर्तों के आधार पर बढ़ाई जा सकती है । बोर्ड ने कुछ करारनामों के तहत ब्याजमुक्त जमानती जमाराशियाँ (जो वापस की जा सकती हैं) दी हुई हैं । बोर्ड ने अपने कुछ रिहायशी एवं कार्यालय परिसर पट्टे पर दिए हैं । ये सामान्यत: रद्द नहीं किए जा सकते हैं और जिनकी अवधि 12 महीनों से 60 महीनों के बीच की हैं और जिनकी अवधि आपसी सहमति से तय की गई शर्तों के आधार पर बढ़ाई जा सकती है ।

6. **Office and Residential Premises on Lease:** The Board has taken residential and office premises under operating lease on leave and license arrangements. These are generally cancellable and range between 12 months to 60 months and are renewable on mutually agreeable terms. The Board has given refundable interest free security deposits under certain agreements. The Board has given some of its residential and office premises under operating lease. These are generally non-cancellable and are for a period of 12 months to 60 months and are renewable on mutually agreeable terms.

7. **सेबी के बचत खाते में शेष राशियाँ :** सेबी के बचत बैंक खाते में रखी गई शेष राशि में शामिल है आई.पी.ओ. के पुनः आबंटन (री–एलोकेशन) के मामले हेतु प्रत्यर्पण (डिस्गॉर्जमेंट) निधि से संबंधित 7.37 करोड़ की रकम (पिछले वर्ष यह रकम 7.38 करोड़ थी), निपटारे (सेटलमेंट) / शमन (कम्पाउंडिंग) संबंधी शुल्क से संबंधित 10.37 करोड़ की रकम (पिछले वर्ष यह रकम 7.85 करोड़ की थी), पेनल्टी (शास्ति) से संबंधित 10.95 करोड़ की रकम (पिछले वर्ष यह रकम 2.98 करोड़ की थी), वसूली (रिकवरी) से संबंधित

3.42 करोड़ की रकम (पिछले वर्ष यह रकम 3.50 करोड़ की थी) और चिकित्सा सहायता निधि (एम.ए.एफ.) से संबंधित 1.28 करोड़ की रकम (पिछले वर्ष यह रकम 0.81 करोड़ की थी) ।

7. **Balances kept in SEBI's Savings Account:** SEBI's savings bank account balance includes an amount of, ₹7.37 crore (previous year 7.38 crore) towards Disgorgement Fund for IPO re-allocation, ₹10.37 crore (previous year ₹7.85 crore) towards Settlement / Compounding charges, ₹10.95 crore (previous year ₹2.98 crore) towards penalty, ₹3.42 crore (previous year ₹3.50 crore) towards Recovery proceeds and ₹1.28 crore (previous year ₹0.81 crore) towards Medical Assistance Fund (MAF).

8. **उपदान (ग्रेच्यूटि) एवं छुट्टियों का नकदीकरण (छुट्टियाँ भुनाना) :** बोर्ड ने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आई.सी.ए.आई.) द्वारा जारी लेखा–मानक 15 (संशोधित 2005) ''कर्मचारी प्रसुविधाएँ'' को अपनाया है । बीमांकिक मूल्यांकन (एक्चुरियल वैल्यूएशन) रिपोर्ट के आधार पर, बोर्ड अपने कर्मचारियों की बाबत उपदान (ग्रेट्यूटि) और छुट्टियों के नकदीकरण (छुट्टियों को भुनाने) संबंधी देयताओं के संबंध में भारतीय जीवन बीमा निगम की क्रमश: ग्रुप ग्रेट्यूटि स्कीम और ग्रुप लीव एनकैशमेंट स्कीम में धनराशि जमा करता है ।

8. **Gratuity and Leave Encashment:** The Board has adopted Accounting Standard 15 (revised 2005) 'Employee Benefits' issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). Based on the actuarial valuation report, the Board funds the Gratuity and Leave encashment liabilities in respect of its employees with Group Gratuity Scheme and Group Leave encashment scheme respectively of LIC of India.

तारीख 22 मई, 2025 के बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य में हुए बदलाव नीचे सारणी में दिए गए हैं:

Based on the actuarial valuation dated May 22, 2025, changes in present value of obligations are shown in the table below:

सारणी–1 – Table - 1

(रकम ₹ करोड में /Amount in ₹ Crore)

ब्यौरे Particulars	उपदान (ग्रेच्युटी) Gratuity		छुट्टियों का नकदीकरण (छुट्टियाँ भुनाना) Leave Encashment	
	वित्तीय वर्ष 2024–25 FY 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023–24 FY 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024–25 FY 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023–24 FY 2023-24
वर्ष के आरंभ में बाध्यता का वर्तमान मूल्य Present value of obligation as at beginning of year	165.65	148.32	263.38	254.36
जोड़ें : ब्याज लागत Add: Interest Cost	11.24	10.53	17.73	17.73
जोड़ें : चालू सेवा लागत Add: Current service cost	17.53	16.67	35.08	43.57
घटाएँ : प्रसुविधाएँ (जिनके संबंध में भुगतान किया गया) Less: Benefits paid	- 8.02	- 4.18	-19.55	- 16.24
जोड़ें : पूर्व सेवा लागत Add: Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00
जोड़ें : बाध्यताओं पर बीमांकिक (लाभ) / हानि Add: Actuarial (gain)/Loss on obligations	-7.65	-5.69	-07.53	-36.04
तुलन–पत्र की अनुसूची 5ख के अनुसार वर्ष के अंत में बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य Present value of obligations as at end of year as per Schedule 5B of the Balance Sheet	**178.75**	**165.65**	**289.01**	**263.38**

सारणी में योजनागत आस्तियों (प्लान असेट्स) के उचित मूल्य (फेयर वैल्यू) में हुए परिवर्तन को दर्शाया गया है :

Table showing changes in the fair value of plan assets:

सारणी–2 / – Table - 2

(रकम ₹ करोड में /Amount in ₹ Crore)

ब्यौरे Particulars	उपदान (ग्रेच्युटी) Gratuity		छुट्टियों का नकदीकरण (छुट्टियाँ भुनाना) Leave Encashment	
	वित्तीय वर्ष 2024–25 FY 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023–24 FY 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024–25 FY 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023–24 FY 2023-24
वर्ष के आरंभ में योजनागत आस्तियों (प्लान असेट्स) का वर्तमान मूल्य Present value of plan assets at beginning of year	154.76	140.83	258.84	222.05
जोड़ें : योजनागत आस्तियों (प्लान असेट्स) पर प्रत्याशित प्रतिफल (रिटर्न) Add: Expected return on plan assets	11.00	10.26	17.58	16.69
जोड़ें : अंशदान Add: Contributions	10.90	7.48	4.54	32.31
घटाएँ : प्रसुविधाएँ (जिनके संबंध में भुगतान किया गया) Less: Benefits paid	-3.98	-4.35	-16.17	-12.94
जोड़ें : बीमांकिक लाभ / (हानि) Add: Actuarial Gain / (Loss)	1.11	0.54	1.74	-0.73
तुलन–पत्र की अनुसूची 5ख के अनुसार वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों (प्लान असेट्स) का उचित मूल्य Fair value of plan Assets at the end of year as per Schedule 5B of Balance sheet	**173.79**	**154.76**	**266.53**	**258.84**

मूल बीमांकिक आकलन :

The principle actuarial assumptions :

सारणी- 3 / – Table - 3

ब्यौरे Particulars	उपदान (ग्रेच्युटी) Gratuity		छुट्टियों का नकदीकरण (छुट्टियाँ भुनाना) Leave Encashment	
	वित्तीय वर्ष 2024–25 FY 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023–24 FY 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024–25 FY 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023–24 FY 2023-24
रियायती दर Discount Rate	6.75%	6.95%	6.75%	6.95%
वेतन वृद्धि Salary Escalation	10%	10%	10%	10%

9. भविष्य निधि : वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु किए गए तारीख 9 अप्रैल, 2025 के बीमांकिक मूल्यांकन (एक्चूरियल वैल्यूएशन) के आधार पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु 'net interest rate guarantee liabilit' के लिए 63.88 करोड़ का प्रावधान किया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु 59.51 करोड़ का प्रावधान किया गया था ।

9. **Provident Fund:** Based on the actuarial valuation for the FY 2023-24 dated April 9, 2025, SEBI has made a provision of Rs.63.88 crore for the net interest rate guarantee liability for the FY 2024-25 as against Rs.59.51crore for the FY 2023-24.

10. **विविध देनदार :** इस मद के तहत प्राप्त होने वाली वह फीस शामिल है, जिसके लिए मांग नहीं की गई है और जो इस प्रकार है:

10. **Sundry Debtors:** This pertains to unbilled revenue in respect of fee receivables and comprise of the following:

सारणी - 4 / – Table - 4

(रकम ₹ करोड में /Amount in ₹ Crore)

ब्यौरे Particulars	**31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए for the year ended March 31, 2025**	**31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए for the year ended March 31, 2024**
विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों से प्राप्त होने वाली सूचीबद्धता (लिस्टिंग) फीस अंशदान Listing Fees contribution receivable from various Stock Exchanges	0.48	2.13
विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों से प्राप्त होने वाली विनियामक (रेग्यूलेटरी) फीस Regulatory fee receivable from various Stock Exchanges	80.67	1,065.25
प्रतिभूति अभिरक्षक (कस्टोडियन ऑफ सिक्यूरिटीज) से प्राप्त होने वाले वार्षिक फीस Annual Fees receivable from Custodian of Securities	131.59	102.66
प्राप्त होने वाला वार्षिक अभिरक्षा (कस्टडी) शुल्क– डिपॉज़िटरीज Annual Custody Charges Receivable- Depositories	0.09	0.21
दलाल फीस – कैश सेगमेंट Broker Fees – Cash Segment	4.04	4.11
डेरिवेटिव – इक्विटी (एफएंडओ) Derivatives – Equity (F&O)	9.67	10.71
डेरिवेटिव – करेंसी (मुद्रा) Derivatives – Currency	0.30	1.48
कमोडिटी डेरिवेटिव के स्टॉक एक्सचेंजों से विनियामक (रेग्यूलेटरी) फीस Regulatory Fees from Commodity Derivative - stock exchanges	0.60	4.21
प्राप्त होने वाली फीस – कमोडिटी डेरिवेटिव दलाल Fees Receivable - Commodity Derivatives Brokers	1.37	0.78
प्राप्त होने वाली फीस – इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव Fees Receivable- Interest Rate Derivatives	0.00	0.01
प्राप्त होने वाली फीस – विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक Fees Receivable- Foreign Portfolio Investor	0.00	5.05
फीस अन्य Receivable – Others	10.09	4.57
प्राप्त होने वाली फीस निवेश सलाहकार / एआईएफ Fees Receivable – Investment Advisors / AIFs	0.11	0.11
कुल / TOTAL	**239.01**	**1,201.28**

 # उपरोक्त के अलावा, विविध देनदारों में म्यूचुअल फंड की ओर से निरीक्षण के संबंध में प्राप्त होने वाली फीस और अदानी एससी समिति की ओर से प्राप्त होने वाली 3.27 करोड़ रुपये की रकम शामिल हैं ।

 # Apart from the above, Sundry Debtors also include Inspection Fee –Receivables- Mutual Funds and Adani SC Committee Receivable amounting to Rs. 3.27 crore.

11. विदेशी मुद्रा में आय : / Earnings in Foreign Currency :

सारणी - 5 / – Table - 5

(रकम ₹ करोड में /Amount in ₹ Crore)

ब्यौरे Particulars	31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए for the year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए for the year ended March 31, 2024
विदेशी जोखिम पूँजी निधियों, (वेंचर कैपिटल फंड) विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक – प्रवर्ग I, II, III से प्राप्त फीस Fees from Foreign Venture Capital Funds, Foreign Portfolio Investor – Cat I,II,III,.	77.13	70.88

12. विदेशी मुद्रा में व्यय : Expenditure in Foreign Currency:

सारणी - 6 / – Table - 6

(रकम ₹ करोड में /Amount in ₹ Crore)

ब्यौरे Particulars	31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए for the year ended March 31, 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए for the year ended March 31, 2024
सदस्यता फीस एवं सब्सक्रिप्शन Membership Fees & Subscription	0.23	0.97
विदेश भेजकर दिया गया प्रशिक्षण Foreign Training	1.41	1.49
कुल/TOTAL	**1.64**	**2.46**

13. पेनल्टी (शास्ति) / निपटारे (सेटलमेंट) संबंधी प्रभारों का प्रेषण : भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2002 की धारा 15जक (15जेए) के अनुसार, बोर्ड ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान पेनल्टी (शास्ति) के रूप में 113.12 करोड़ की रकम (जिसमें बैंक से मिले ब्याज की रकम शामिल है) (पिछले वर्ष यह रकम 41.01 करोड़ की थी) की वसूली की तथा इसमें से भारत की संचित निधि (सी.एफ.आई.) में 62.17 करोड़ (इसमें पिछले वर्ष की शेष रकम शामिल है) की रकम जमा कराई (पिछले वर्ष यह रकम 33.42 करोड़ की थी) । पेनल्टी के रूप में प्राप्त 113.12 करोड़ की रकम में वेदांता लिमिटेड से प्राप्त 38.81 करोड़ की वह रकम भी शामिल है जो अपील (सं. 2024 की 202) के संबंध में माननीय प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) के तारीख 20 मार्च 2024 के आदेश के अनुसार वेदांता द्वारा केर्न यूके होल्डिंग्स लिमिटेड को लाभांश का भुगतान न किए जाने के मामले से संबंधित है (यह अपील विचाराधीन है) । उपरोक्त अवधि के दौरान प्राप्त हुई पेनल्टी हेतु सेबी ने 5.80 करोड़ की रकम एंटिटियों को वापस (रिफंड) की है । शेष रकम (जो न्यायालयों / सैट के समक्ष विचाराधीन मामलों के नतीजों पर निर्भर करेगी) मीयादी जमा (फिक्स्ड डिपॉजिट के तौर पर) / बैंकों में रखी जाती है ।

13. Remittance of penalty/settlement charges: In terms of Section 15JA of SEBI (Amendment) Act 2002, the Board has received a sum of ₹113.12 crore being penalty collected (including bank interest received) during the year ended March 31, 2025 (previous year - ₹41.01 crore) and remitted an amount of ₹62.17 crore (including previous year balance) during the same period to the Consolidated Fund of India (CFI) (previous year - ₹33.42 crore). The penalty amount of ₹113.12 crore includes ₹38.81 crore received from Vedanta Ltd in the matter of non-payment of dividend to Cairn UK Holdings Ltd. as per Hon'ble SAT order dated March 20, 2024 in Appeal No. 202 of 2024 (The matter is under appeal). SEBI has refunded an amount of ₹5.80 crore during the aforesaid period to the entities

from penalty received. The balance amount subject to the outcome of proceedings pending before Courts/SAT is kept in fixed deposits/Banks.

इसके अलावा, बोर्ड को 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान निपटारे (सेटलमेंट) / शमन (कम्पाउंडिंग) संबंधी प्रभार के रूप में 814.55 करोड़ की रकम प्राप्त हुई (पिछले वर्ष यह रकम 104.13 करोड़ की थी)। इस रकम में से, भारत की संचित निधि में इसी अवधि के दौरान 814.39 करोड़ की रकम जमा कराई गई।

Further, the Board has received a sum of ₹814.55 crore towards Settlement / Compounding charges during the year ended March 31, 2025 (previous year - ₹104.13 crore). An amount of ₹814.39 crore (including previous year balance) has been remitted during the same period to CFI.

14. **वसूली कार्यवाहियाँ :** भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी एक्ट, 1992) की धारा 28क (28ए), प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 23ञ(ख) [23जे(बी)] तथा निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 19–झ(ख) [19–आई(बी)] के तहत सेबी को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह चूककर्ताओं (डिफॉल्टर्स) से बकाया रकमों की वसूली कर सकता है। 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, सेबी ने अलग–अलग शीर्षों [अर्थात् वसूली प्रत्यर्पण (रिकवरी डिस्गॉर्जमेंट), वसूली शास्ति (रिकवरी पेनल्टी) और वसूली फीस (रिकवरी फीस), बैंक से प्राप्त ब्याज आदि] के तहत 519.63 करोड़ की रकम की वसूली की है (यह रकम पिछले वर्ष 105.88 करोड़ की थी)। इस रकम में से, पेनल्टी की रकम और उस पर ब्याज की रकम 178.47 करोड़ है, जो भारत की संचित निधि (सी.एफ.आई.) में जमा कराई जानी है तथा वसूली की दूसरी रकम 341.16 करोड़ की है, जो सी.एफ.आ.ई. में जमा नहीं कराई जानी है। वसूल की गई 178.47 करोड़ की रकम में 112.50 करोड़ की वह रकम भी शामिल हैं, जो रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के मामले में अपील (सं. 2024 की 602) के संबंध में माननीय प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) के तारीख 18 अक्तूबर, 2024 के आदेश के अनुसार प्राप्त हुई है (यह अपील विचाराधीन है)। वर्ष के दौरान 92.19 करोड़ की रकम (इसमें पिछले वर्ष की शेष रकम शामिल है) सी.एफ.आई. में जमा कराई गई है (पिछले वर्ष यह रकम 67.57 करोड़ की थी)। सेबी ने वर्ष के दौरान वसूली कार्यवाहियों से मिली 37.42 करोड़ (इसमें 26.74 करोड़ की वह रकम भी शामिल है, जो न्यायालय द्वारा नियुक्त की गई समितियों को ट्रांसफर की गई) की रकम लौटाई (रिफंड की) है। शेष रकम (जो न्यायालयों / सैट के समक्ष विचाराधीन मामलों के नतीजों पर निर्भर करेगी) मीयादी जमाओं (फिक्स्ड डिपॉजिट) के तौर पर / बैंकों में रखी जाती है।

14. **Recovery Proceedings:** SEBI has been empowered under Section 28A of the SEBI Act, 1992, Section 23J (b) of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and Section 19I (b) of the Depositories Act, 1996 to recover various amounts due from defaulters. During the year ended March 31, 2025, SEBI has received ₹519.63 crore (previous year - ₹105.88 crore) as recovery proceeds under different heads viz. recovery of disgorgement, recovery of penalty and recovery of fees, bank interest received, etc. Out of this, recovery of penalty, recovery of interest on penalty and bank interest received thereon which are remittable to CFI is ₹178.47 crore and other recoveries amounting to ₹341.16 crore is not remittable to CFI. The recovery amount of ₹178.47 crore includes ₹112.50 crore received in the matter of Reliance Home Finance Ltd. as per Hon'ble SAT order dated October 18, 2024 in Appeal No. 602 of 2024 (The matter is under appeal). An amount of ₹92.19 crore (including previous year balance) has been remitted to CFI during the year (previous year ₹67.57 crore). SEBI has refunded an amount of ₹37.42 crore (including transfer of ₹26.74 crore to Court appointed Committees) during the year from recovery proceeds. The balance amount subject to the outcome of proceedings pending before Courts/SAT is kept in fixed deposits/Banks.

15. **माननीय प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) के आदेश के अनुसार जमाराशियाँ:** प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अंतरिम आदेशों के अनुसार, विभिन्न इंटरमीडियरी (मध्यवर्तियों) और मार्केट पार्टिसिपेंट्स (बाजार सहभागियों) ने बोर्ड के पास धनराशि जमा की है और जिसे ''प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश के अनुसार जमाराशि (डिपॉज़िट)'' शीर्ष के तहत दर्शाया जा रहा है। 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार, ब्याज सहित 1,108.91 करोड़ मीयादी जमाओं (फिक्स्ड डिपॉजिट) और बैंक खातों में पड़ी है (यह रकम पिछले वर्ष 1,031.31 करोड़ की थी)।

15. **Deposit pursuant to SAT Order:** Pursuant to Interim Orders issued by the Hon'ble Securities Appellate Tribunal (SAT) from time to time, various intermediaries and market participants have deposited monies with the Board and the same are being shown under the head 'Deposit pursuant to SAT Order. As at March 31, 2025 an amount of ₹1,108.91 crore (previous year ₹1,031.31 crore) together with interest is held in fixed deposits and bank accounts.

इस रकम में 1,100.94 करोड़ की वह रकम (ब्याज सहित) भी शामिल है, जो एनएसई को–लोकेशन के मामले से संबंधित माननीय प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) के तारीख 22 मई, 2019 और 17 मई, 2021 के अंतरिम आदेशों के अनुसार प्राप्त हुई है । माननीय प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने, अपने तारीख 23 जनवरी, 2023 के अंतिम आदेश के माध्यम से, एनएसई को सेबी द्वारा बनाई गई निवेशक संरक्षण और शिक्षण निधि में 100 करोड़ की रकम जमा करने का निदेश दिया । माननीय प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने सेबी को 100 करोड़ की इस रकम को एनएसई द्वारा पहले जमा करवाई जा चुकी रकम में से लेने और बची हुई सारी रकम (ब्याज सहित) छह सप्ताह के भीतर लौटाने का निदेश दिया । सेबी ने इस आदेश को माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष चनौती दी, और माननीय उच्चतम न्यायालय ने, अपने तारीख 20 मार्च, 2023 के अंतरिम (इंटरिम) आदेश के माध्यम से, सेबी को 300 करोड़ की रकम एनएसई को लौटाने का निदेश दिया और 300 करोड़ की उपरोक्त रकम 21 अप्रैल, 2023 को एनएसई को लौटा दी गई । इसके अलावा, माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 17 अक्तूबर, 2023 के आदेश के अनुसार 31 करोड़ की रकम एनएसई को 17 नवम्बर, 2023 को लौटा दी गई थी (सिविल अपील सं. 6471–6478/2023) । आज की तारीख तक की स्थिति के अनुसार, सेबी को इस मामले के संबंध में कोई और सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

This includes an amount of ₹1,100.94 crore (including interest) pertaining to the matter of NSE Co-location pursuant to the Hon'ble SAT interim orders dated May 22, 2019 and May 17, 2021. The Hon'ble SAT, vide its final order dated January 23, 2023, directed NSE to deposit a sum of ₹100 crores to the Investors Protection and Education Fund created by SEBI. The Hon'ble SAT also directed SEBI to adjust this amount of ₹100 crore against the amount already deposited by NSE and refund the balance amount along with interest accrued within six weeks. This order was challenged by SEBI before the Hon'ble Supreme Court, which by its interim order dated March 20, 2023 directed SEBI to refund ₹300 crore to NSE and the said amount of ₹300 crore has been refunded to NSE on April 21, 2023. Further an amount of Rs. 31 crore was refunded to NSE on November 17, 2023 vide Supreme Court Order dated October 17,2023 (Civil Appeal No,: 6471-6478/2023). As on date, the company has not received any further communication in regards to the same.

16. **माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार जमाराशियाँ :** माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार मैसर्स रिलायंस पेट्रोलियम लि. ने सेबी के पास 258.87 करोड़ की राशि जमा करवाई है । इसके अलावा, माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार, एचबीएन डेयरीज़ एंड एलाइड लिमिटेड के मामले में बिक्री से मिली 65.97 करोड़ की रकम बैंक के पास मीयादी जमा (फिक्स्ड डिपॉजिट) के रूप में रखी गई है । 324.84 करोड़ रुपये की कुल रकम मीयादी जमा (फिक्स्ड डिपॉजिट) के रूप में रखी गई है, जिसमें 48.69 करोड़ रुपये की ब्याज की रकम शामिल है ।

16. **Deposit Pursuant to Supreme Court Order:** Pursuant to the order of Hon'ble Supreme Court, M/s. Reliance Petroleum Ltd. has deposited an amount of Rs. 258.87 crore with SEBI. Further, pursuant to Supreme Court directions, sale proceeds of amount Rs 65.97 crore in the matter of HBN Diaries and Allied Limited is deposited in fixed deposits with bank. The total amounting to Rs 324.84 crore has been kept as fixed deposits together with an amount of ₹48.69 crore as accrued interest.

17. **जमाराशियाँ :** 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित बैंकों में पड़ी जमाराशियों के विवरण नीचे दिए हुए हैं:

17. **Deposits:** The details of deposits with Schedule Banks as on March 31, 2025 are as under:

सारणी - 7 / – Table - 7

(रकम ₹ करोड में / Amount in ₹ Crore)

क्र.सं. Sr. No.	बैंक का नाम **Name of the Bank**	**31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार As on March 31, 2025**	**31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार As on March 31, 2024**
1.	बैंक ऑफ इंडिया Bank of India	48.60	20.60
2.	केनरा बैंक Canara Bank	55.00	270.99

क्र.सं. Sr. No.	बैंक का नाम **Name of the Bank**	**31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार As on March 31, 2025**	**31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार As on March 31, 2024**
3.	पंजाब एंड सिंध बैंक Punjab and Sind Bank	50.00	0.00
4.	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	1,015.00	503.00
5.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank Of India	200.00	306.33
6.	एक्सिस बैंक Axis Bank	35.00	0.00
7.	एच.डी.एफ.सी. बैंक HDFC Bank	542.00	110.00
8.	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक ICICI Bank	270.00	25.00
कुल / TOTAL		**2,215.6**	**1,235.92**

✲ *इसमें से, 0.50 करोड़ की जमाराशि बैंक में उतनी ही रकम की गारंटी के लिए गिरवी रखी गई है [ऊपर दी हुई टिप्पणी 1(च) देखें]*

✲ *of the above, deposits of ₹ 0.50 crore are pledged towards issuance of Bank Guarantee of equal amount. [Refer to Note 1(f) above]*

18. न्यायालय के आदेशों के अनुसार खोले गए अलग बैंक खाते –

18. Separate Bank Accounts Opened Pursuant to Court Orders-

क) सेबी–सहारा रिफंड अकाउंट : माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किए गए विभिन्न आदेशों तथा सेबी द्वारा पारित किए गए तारीख 13 फरवरी, 2013 के कुर्की के आदेशों के अनुसार, 31 मार्च, 2025 तक, सहारा इंडिया रियल इस्टेट कारपोरेशन लि. (एस.आई.आर.ई.सी.एल.), सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लि. (एस.एच.आई.सी.एल.) और उनके संप्रवर्तकों (प्रोमोटर) –निदेशकों (जिनका उल्लेख यहाँ आगे सहारा के रूप में किया गया है) द्वारा कुल 16,138 करोड़ (पिछले वर्ष यह रकम 15,775.50 करोड़ की थी) की रकम अलग से खोले गए बैंक खाते [बैंक ऑफ़ इंडिया, बी.के.सी. शाखा, मुंबई में ''सेबी – सहारा रिफंड एकाउंट'' (खाता संख्या 012210110003740) के नाम से] में जमा की जा चुकी है । माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 31 अगस्त, 2012 के निर्णय के अनुसार, यह रकम [एस.आई.आर.ई.सी.एल. और एस.एच.आई.सी.एल. के बॉण्डधारकों को धन–वापसी (रिफंड) करने का प्रावधान करने के बाद] ब्याज सहित विभिन्न 'राष्ट्रीयकृत बैंकों' में जमा करवाई जा चुकी है । भारत सरकार के सहकारी समितियों के कार्यालय के केन्द्रीय पंजीयक द्वारा मई 2023 में दिए गए निदेश के अनुसार, 5000 करोड़ की रकम उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जा चुकी है । 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार, इन बैंकों में 23,866.00 करोड़ की कुल रकम जमा करवाई जा चुकी है (पिछले वर्ष यह रकम 22,143.00 करोड़ की थी) । इसके अलावा, 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार, बॉण्डधारकों को लौटाई गई कुल रकम (ब्याज सहित) 138.07 करोड़ रही (पिछले वर्ष यह रकम 138.07 करोड़ की थी) ।

a) SEBI - Sahara Refund Account: Pursuant to various orders passed by the Supreme Court and the attachment orders dated February 13, 2013 passed by SEBI, as on March 31, 2025 an aggregate amount of ₹16,138 Crore (previous year ₹15,775.50 Crore) has been remitted by Sahara India Real Estate Corporation Ltd (SIRECL), Sahara Housing Investment Corporation Ltd. (SHICL) and their promoter-directors (hereinafter referred to as 'Saharas'), to the designated bank account "SEBI–Sahara Refund' Account Number 012210110003740 with Bank of India, BKC Branch, Mumbai. These amounts along with interest earned thereupon, after providing for refunds made to the bondholders of SIRECL and SHICL have been deposited with various Nationalized Banks in terms of the judgment dated August 31, 2012 of the Supreme Court. As per the direction received

from Government of India, Office of the Central Registrar of Cooperative Societies (CRCS) in May 2023, Rs.5,000.00 crore has been transferred to CRCS bank account. As on March 31, 2025, the total amount deposited in banks is ₹23,866.00 Crore (previous year ₹ 22,143.00 Crore). The total amount including interest refunded to the bondholders up to as on March 31, 2025 is ₹138.07 Crore (previous year ₹138.07 Crore).

ख) **मैसर्स गोल्डन फॉरेस्ट्स् (आई) लि. :** बोर्ड बनाम मैसर्स गोल्डन फॉरेस्ट्स् (आई) लि. के मामले में, माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई के निदेशानुसार, समय–समय पर निजी रिसीवर के निदेशानुसार संपत्तियों की बिक्री से होने वाली आमदनी को जमा किए जाने तथा भुगतान किए जाने हेतु अलग से एक बचत खाता खोला गया है । उसके बाद कई उच्च न्यायालयों में कई याचिकाएँ दाखिल की गईं । उसके बाद, तारीख 12 सितम्बर, 2003 के आदेश के माध्यम से देशभर के उच्च न्यायालयों में कंपनी के खिलाफ विचाराधीन सभी मामलों को माननीय उच्चतम न्यायालय को अंतरित (ट्रांसफर) कर दिया गया । माननीय उच्चतम न्यायालय ने तारीख 19 अगस्त, 2004 के आदेश के माध्यम से एक समिति का गठन किया और साथ ही समिति को यह आदेश भी दिया कि कंपनी के सभी असेट अपने कब्जे में ले ले (चाहे वे जहाँ कहीं भी हों), समाचारपत्रों में विज्ञापन जारी करके कंपनी के सभी लेनदारों को समिति के समक्ष दावा (दावे) प्रस्तुत करने को कहे । उसके बाद, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया कि समिति ने जो संपत्तियाँ कब्जे में ली हों उनकी बिक्री माननीय उच्चतम न्यायालय की पुष्टि के बाद नीलामी (नीलामी की जानकारी आम जनता तक पहुँचाने के बाद) के जरिए करे । इस मामले में चल रही कार्यवाही पर उपरोक्त समिति द्वारा नजर रखी जा रही है । उपरोक्त खाते में 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार, 0.50 करोड़ की रकम पड़ी है (पिछले वर्ष यह रकम 0.49 करोड़ की थी) ।

b) **M/s. Golden Forests (I) Ltd.:** Pursuant to the directions of the Hon'ble High Court, Mumbai, in the matter of the Board v/s M/s. Golden Forests (I) Ltd., a separate savings bank account was opened for crediting the proceeds from the sale of properties and making the payments in accordance with the directions of the private receiver from time to time. Thereafter a number of petitions were filed in various High Courts. Subsequently, all matters against the aforesaid company pending in various High Courts throughout the country were transferred to the Hon'ble Supreme Court vide order dated September 12, 2003. The Hon'ble Supreme Court vide order dated August 19, 2004 constituted a Committee and further ordered the Committee to take into its custody all assets of the company, wherever they may be, to issue advertisement in Newspapers calling upon all the creditors of the company to submit the claim(s) before the Committee. Subsequently, Hon'ble Supreme Court ordered the properties under custody of Committee to put to sale by auction after due publicity subject to confirmation by the Hon'ble Supreme Court. The matter is overseen by the said Committee. An amount of ₹0.50 crore as on March 31, 2025 (previous year ₹0.49 crore) is lying in the above designated account.

ग) **पीएसीएल लि. के मामले में :** माननीय न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर.एम. लोढ़ा समिति (पीएसीएल लि. के मामले में) [जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार पीएसीएल लि. के निवेशकों को पैसा लौटाए (रिफंड किए) जाने का कार्य सौंपा गया है] अलग से बही–खाते (लेखा–बहियाँ) रखती है, और जो कि सेबी के बही–खातों (लेखा–बहियों) का हिस्सा नहीं बनते । पीएसीएल / पीएसीएल के सहयोगियों (असोसिएट) की संपत्तियों की बिक्री से मिलने वाले पैसों और पीएसीएल से वसूल की गई रकम आदि के जरिए मिलने वाली रकम में से निवेशकों को पैसा लौटाया (रिफंड किया) जाता है । 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार, बैंकों में शेष रकम 103.38 करोड़ की है ।

c) **In the matter of PACL Ltd:** The Justice (Retd.) R.M. Lodha Committee (in the matter of PACL Ltd.), functioning under the mandate of the Hon'ble Supreme Court for refund to the investors of PACL Ltd., maintains separate books and accounts, which do not form part of the accounts of SEBI. The refund to the investors are made out of the amount received through sale proceeds of properties and assets of PACL/PACL associates, recovery of monies diverted by PACL etc. As on March 31, 2025, the balance in banks was Rs. 103.38 Crores.

घ) **न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) वाधवा समिति की सिफारिशों के अनुसार :** सेबी ने वर्ष 2002–05 के दौरान आईपीओ में हुई अनियमितताओं से प्रभावित हुए निवेशकों को शेयरों का पुनः आबंटन (रीएलोकेशन) शुरू कर दिया है । इसके मद्देनज़र, सेबी ने प्रभावित निवेशकों को अप्रैल 2010 में पहले चरण के तहत पैसा दिया । इसके बाद, सेबी ने दिसम्बर 2015 में पैसा देने के लिए दूसरे चरण की

शुरूआत की । रिवैलिडेशन के पहले दो चरणों के लंबित और नए आवेदनों के संबंध में कार्यवाही करने के उद्देश्य से, एच.डी.एफ.सी. बैंक में अलग से खोले गए खाते में 0.03 करोड़ की रकम शेष छोड़ दी गई । उसके बाद, सेबी ने अगस्त 2023 में तीसरे चरण के तहत पैसा दिया और 15.75 करोड़ की रकम एचडीएफसी बैंक में अलग से खोले गए सेबी–आईपीओ रीएलोकेशन–ट्रांच 3 अकाउंट में जमा कर दी । 30 जून, 2024 तक की स्थिति के अनुसार, 1,40,997 प्रभावित निवेशकों को 8.27 करोड़ की रकम दी जा चुकी है । इसके अलावा, उपरोक्त 15.75 करोड़ की रकम में से वारंटों को भेजने के लिए डाक शुल्क के तौर पर 0.10 करोड़ की रकम खर्च की गई । उपरोक्त के अलावा, सेबी के खातों में पड़ी रकम में से वारंटों को भेजने के लिए 0.21 करोड़ की रकम खर्च की जा चुकी है, और जिसे अकाउंट्स रिसीवेबल शीर्ष के तहत दिखाया गया है । उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर लिए जाने के बाद ट्रांच 3 वाले बैंक खाते में पड़ी शेष राशि सेबी आई.पी.ई.एफ. खाते में जमा कर दी जाएगी ।

d) **As per the recommendations of Justice (Retd.) Wadhwa Committee:** SEBI has initiated reallocation of shares to the investors affected in IPOs irregularities in 2002-05. In view of the same, SEBI initiated the first tranche of distribution to the affected investors in April 2010. Thereafter, SEBI initiated the 2nd tranche of distribution in December 2015. In order to meet the pending and future revalidation requests of the first two tranches, an amount of ₹0.03 crore was retained in the dedicated bank accounts maintained with HDFC Bank. Further, SEBI initiated the 3rd tranche of distribution in August 2023 and Rs.15.75 crore have been transferred to a dedicated bank account viz. SEBI-IPO Reallocation-Tranche 3 A/c maintained with HDFC Bank. As on June 30, 2024, Rs.8.27 crore has been distributed to 1,40,997 affected investors. Further, out of the above amount of Rs.15.75 crore, an expenditure of Rs.0.10 crore have been incurred towards postal charges for dispatch of warrants. Apart from the above, an expenditure of Rs.0.21 crore have been incurred towards above activity from the funds of SEBI and the same has been shown under Accounts Receivable. The balance lying in tranche 3 bank account after the said exercise would be transferred to SEBI IPEF account.

19. सी.एम.आर.एल. से मुआवजा : सेबी के प्रादेशिक कार्यालय (चेन्नई) के लिए 'जैसा है जहाँ है और जो है जहाँ है' आधार पर अक्तूबर 2008 में ओवरसीज टावर्स, 756–एल, माउंट रोड, चेन्नई – 600002 में कार्यालय परिसर (37.04 करोड़ की कुल कीमत पर) खरीदा गया । इस कार्यालय परिसर में 12912.15 वर्ग फुट के बराबर का 35.7% संपत्ति का अविभक्त हिस्सा (अनडिवाइडेड शेयर) भी शामिल है । चेन्नई मैट्रो रेल लिमिटेड (सी.एम.आर.एल.) ने चेन्नई मैट्रो रेल परियोजना के तहत ओवरसीज़ टावर्स के परिसर की पूरी ज़मीन का एक हिस्सा ले लिया था (जो 2,248 वर्ग फुट की थी) और उसका मुआवजा भी दे दिया था । चूंकि जून 2012 में सेबी को 1.08 करोड़ का जो मुआवजा मिला था जो कि उस ज़मीन की बुक वैल्यू (बही मूल्य) से कम था, जिसकी वजह से 0.88 करोड़ का नुकसान हुआ । सेबी ने भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 लैंड एक्विज़ीशन एक्ट, 1894 की धारा 18 के तहत मुआवजे की रकम बढ़ाए जाने के सिलसिले में 25 अप्रैल, 2012 को एक पत्र लिखकर विशेष तहसीलदार (एलए) के समक्ष एक आवेदन किया था, जो कि उनके पास लंबित है । सेबी, सिडबी, एक्ज़िम बैंक और ई.सी.जी.सी. ने मिलकर (के कन्सोर्टियम ने) एडवोकेट (मैसर्स शिवकुमार एंड सुरेश, चेन्नई) को नियुक्त किया हुआ है, ताकि वे चेन्नई में स्थित सिटी सिविल कोर्ट के माननीय तख असिस्टेंट कोर्ट में उनका पक्ष रख सकें और उपरोक्त मामले में मुआवजे के दावे के लिए अर्जी भी दायर की जा चुकी है । सेबी, सिडबी, एक्ज़िम बैंक और ई.सी.जी.सी. द्वारा दायर की गई अर्जियों को टैग कर दिया गया, और इसीलिए इनकी सुनवाई एक साथ की जा रही है । माननीय न्यायालय ने 28/03/2025 का आदेश पारित करके मुआवजे की रकम 10,000 से बढ़ाकर 38,500 कर दी तथा मुआवजे की रकम पर 30% हरजाना (सोलेटियम) भी देने का आदेश दिया । न्यायालय ने कब्जा लेने की तारीख से पहले वर्ष तक 9% ब्याज और उसके बाद मुआवजे की रकम मिलने की तारीख तक 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने का फैसला सुनाया । प्रत्यर्थी को यह निदेश दिया गया कि वह इस आदेश की तारीख से 2 महीने के भीतर मुआवजे की बढ़ी हुई रकम जमा करवाए । न्यायालय ने दावेदारों को भी यह निदेश दिया कि वे बढ़ाई गई रकम पर न्यायालय को फीस अदा करें । सेबी के वकीलों ने इस मामले का जिक्र माननीय न्यायालय के समक्ष किया था और माननीय न्यायालय ने यह सूचित किया कि फैसले का मसौदा तैयार करते समय रजिस्ट्री काउंसल को यह सूचित करेगी कि क्या दावेदारों को उपरोक्त रकम पर अतिरिक्त न्यायालय फीस अदा करनी है या नहीं । इस संबंध में न्यायालय / रजिस्ट्री से आगामी अनुदेशों का इंतजार किया जा रहा है ।

19. Compensation from CMRL: SEBI, Regional Office (Chennai) acquired office premises at Overseas Towers, 756-L, Mount Road, Chennai – 600 002 in October 2008 at a total cost of ₹37.04 Crore on 'as is where is and what is where is' basis. The premises, inter-alia, comprises undivided share of 35.7% of the property equivalent to

12,912.15 sq. ft. The Chennai Metro Rail Limited (CMRL) had acquired a portion of total land, admeasuring 2,248 sq. ft. from the Overseas Towers premises as part of the Chennai Metro rail project and disbursed compensation for the same. Since the compensation of ₹1.08 Crore received by SEBI in June 2012 was less than the book value of the land, this resulted in loss of ₹0.88 Crore. SEBI vide letter dated April 25, 2012 had made an application to the Special Tahsildar (LA) for enhancement of compensation award under Section 18 of the Land Acquisition Act, 1894 and the application is pending with them. The consortium comprising SEBI, SIDBI, EXIM Bank and ECGC has appointed advocates, M/s Shivakumar and Suresh, Chennai to represent them in the Hon'ble VI Assistant Court in the City Civil Court in Chennai and a compensation claim petition has been filled in respect of the above matter. The claims filed by SEBI, SIDBI, EXIM Bank and ECGC are tagged, hence, were heard together. The Hon'ble Court on 28/03/2025 passed an order enhancing the compensation from Rs.10,000/- to Rs. Rs.38,500/- and has also awarded 30% solatium on the compensation amount. The Court has also awarded 9% interest for the 1st year from the date of taking possession and 15% interest per annum for the subsequent years, till the date of realization of the compensation amount. The respondent has been directed to deposit the enhanced compensation within 2 months from the date of this order. The court has also directed the claimants to pay court fee on the enhanced amount. SEBI's advocates had mentioned the matter before the Hon'ble Court and the Hon'ble Court had informed that the Registry will inform the counsel at the time of drafting of the decree whether the claimants have to pay additional court fee on the said amount or not. Further instructions on this aspect are awaited from the Court/ Registry.

20. **वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) से संबंधित प्रावधानों का पालन:** सेबी द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं पर जी.एस.टी. लागू होने के बाद, सेबी को मिलने वाली हर फीस पर जी.एस.टी. लगता है । इसे सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है कि आय का लेखा–जोखा सही तरीके से रखा जाए, और जिसके लिए कुछ जरूरी विवरण उन इंटरमीडियरी (मध्यवर्तियों) / एंटिटियों से लिए जाते हैं, जिनसे पैसा आया (जैसे नाम, पता, जीएसटी नंबर आदि) । चालू वर्ष के बही खातों (लेखा–बहियों) के अनुसार आय और इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिलान जीएसटी रिटर्न से किया जाता है और यदि किसी तरह का कोई फर्क पाया जाता है, तो उसे अगले महीने / वर्ष के जीएसटी रिटर्न में हिसाब में लिया जाता है।

20. **Compliance with the provisions of Goods and Service Tax Act:** Pursuant to the applicability of Goods and Services Tax (GST) for the services provided by SEBI, all fees received by SEBI are subject to GST compliance. In order to ensure this and proper accounting of income, certain essential details are obtained from the intermediaries/ entities (i.e. name, address, GST no., etc.) from whom income is received. The income and Input Tax Credit (ITC) as per the books of account for the current year is reconciled with GST returns and impact, if any, of the same is considered in the subsequent monthly/annual GST returns.

21. **ह्रास (इम्पेयरमेंट):** बोर्ड की राय में, ऐसे असेट का बहुत अधिक ह्रास (इम्पेयरमेंट) नहीं हुआ है, जिन पर लेखा मानक 28 – ''आस्तियों का ह्रास'' (इम्पेयरमेंट ऑफ असेट) लागू हो ।

21. **Impairment:** In the opinion of the Board, there is no material impairment to the assets to which Accounting Standard 28 - "Impairment of Assets" applies.

22. **एम.एस.एम.ई. संबंधी प्रकटीकरण (डिस्कलोज़र) :** एमएसएमई के रूप में आपूर्तिकर्ताओं (सप्लायर) की स्थिति का निर्धारण सेबी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर किया जाता है । उन सप्लायर को कोई मूल राशि देय नहीं है, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत आते हों; इसलिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है (पिछले वर्ष : शून्य) । उन्हें कोई ब्याज देय नहीं है ।

22. **MSME disclosure:** The status of suppliers as MSME is determined based on the information available with SEBI. There is no principal amount due to suppliers who are covered under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006; hence no provision has been made (Previous year: NIL). There is no interest payable to them.

23. **शेषराशि की पुष्टि :** सेबी के कामकाज के स्वरूप के मद्देनज़र, पहले अपनाई गई पद्धति के अनुसार, प्राप्य राशियों / देनदारों और देय राशियों / लेनदारों के संबंध में, शेषराशि बही खातों (लेखा–बहियों) के अनुसार मानी जाती है । बोर्ड की राय में, चूँकि राशियाँ पूरी

तरह से वसूलीयोग्य / देय हैं, इसलिए 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष में निपटान (सेटलमेंट) के समय ऐसा कोई ठोस अंतर आने की उम्मीद नहीं है, जिससे वित्तीय विवरणों में लेखा–जोखा प्रभावित हो ।

23. **Balance confirmation:** Considering the nature of operations of SEBI, as per past practice, in respect of receivables/ debtors and payables/creditors, balance as per books of account are considered. In the opinion of the Board, since the amounts are fully recoverable / payable, no material difference is expected to arise at the time of settlement, requiring accounting effect in the financial statements for the year ended March 31, 2025.

24. तुलन–पत्र और आय–व्यय लेखे में दिए गए आँकड़ों को करोड़ रुपये में पूर्णांकित कर दिया गया है । इसके अलावा, पिछली अवधि / पिछले वर्ष के आँकड़ों का मिलान वर्तमान अवधि से करने के लिए उन्हें पुनः वर्गीकृत कर दिया गया है।

24. Figures in the Balance Sheet and, Income and Expenditure Account have been rounded off to the Rupees in crore. Further, the previous period/year's figures have been regrouped to conform to current period's presentation.

25. 1 से 19 तक की अनुसूचियाँ 31 मार्च, 2025 के तुलन–पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय–व्यय लेखे के साथ संलग्न हैं और इनका अभिन्न हिस्सा हैं ।

25. Schedule 1 to 19 are annexed to, and form an integral part of the Balance Sheet as at March 31, 2025 and the Income and Expenditure Account for the year ended on that date.

पराग बसु / PARAG BASU
मुख्य वित्तीय अधिकारी/CHIEF FINANCIAL OFFICER
स्थान/Place : मुंबई/MUMBAI
तारीख/Date : 24 जून, 2025

कृते **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड**
For **SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**

मनोज कुमार/MANOJ KUMAR
कार्यपालक निदेशक/EXECUTIVE DIRECTOR

तुहिन कांत पाण्डे/TUHIN KANTA PANDEY
अध्यक्ष/CHAIRMAN